

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1639

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

मांगदेछू जल विद्युत परियोजना

1639. डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्री कुलदीप राय शर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भूटान में जिस 720 मेगावाट मांगदेछू जलविद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु द्विपक्षीय अंतर-सरकारी करार किया गया था और जो निर्माणाधीन थी, उस परियोजना ने विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ख) क्या भारत और भूटान ने प्रथम भारत-भूटान संयुक्त उद्यम जल विद्युत परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं; तथा यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं;
- (ग) भारत और भूटान द्वारा उक्त परियोजना हेतु प्रदान की जाने वाली निधि के अनुपात का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या इस परियोजना के माध्यम से उत्पादित अधिशेष विद्युत की भारत को आपूर्ति किए जाने की संभावना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) उक्त परियोजना पर कार्य कब शुरू और पूरा किया जाएगा?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : जी हां, भूटान में 720 मेगावाट की मांगदेछू जल-विद्युत परियोजना वर्ष 2019-20 के दौरान शुरू की जा चुकी है और इससे विद्युत उत्पादन शुरू हो चुका है। परियोजना से उत्पादन निम्नानुसार है:

- यूनिट-1 (180 मेगावाट) - 1414.02 एमयू
यूनिट-2 (180 मेगावाट) - 1190.18 एमयू
यूनिट-3 (180 मेगावाट) - 693.06 एमयू
यूनिट-4 (180 मेगावाट) - 1327.56 एमयू

2 फरवरी, 2021 तक संचयी उत्पादन 4624.82 एमयू है।

(ख) : दो सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से निम्नलिखित चार संयुक्त उद्यम (जेवी) जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए दिनांक 22.04.2014 को भूटान सरकार और भारत सरकार के एक अंतर सरकारी करार पर हस्ताक्षर किए गए:

जेवी भागीदार	परियोजना का नाम
एसजेवीएन लिमिटेड (भारत सरकार का सीपीएसयू) और डीजीपीसी (भूटान सरकार का पीएसयू)	खोलोंगछू एवं वांगछू जल-विद्युत परियोजनाएं
एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का सीपीएसयू) और डीजीपीसी (भूटान सरकार का पीएसयू)	चमखरछू -I जल-विद्युत परियोजना
टीएचडीसी (आई) लिमिटेड (भारत सरकार का सीपीएसयू) और डीजीपीसी (भूटान सरकार का पीएसयू)	बुनखा जलाशय जल-विद्युत परियोजना

उपर्युक्त में से, भूटान सरकार और खोलोंगछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड (एसजेवीएन लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के अधीन एक सीपीएसयू और डीजीपीसी (ड्रक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन), भूटान सरकार का पीएसयू) के बीच दिनांक 29.06.2020 को संयुक्त उद्यम (जेवी) मोड के कार्यान्वयन के लिए भूटान में 600 मेगावाट की खोलोंगछू जल-विद्युत परियोजना के लिए रियायती करार किया गया था।

600 मेगावाट की खोलोंगछू जल-विद्युत परियोजना उत्तर-पूर्वी भूटान में त्राशीयांगत्से जिले में खोलोंगछू नदी पर स्थित रन-ऑफ-रिवर परियोजना है। इस परियोजना से 90% विश्वसनीय वर्ष में 2568.52 मिलियन यूनिट (एमयू) का उत्पादन होगा।

(ग) : संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) में एसजेवीएन और डीजीपीसी की समान शेयरधारिता (50:50) है। परियोजना को 70:30 के ऋण-इक्विटी अनुपात के तहत वित्तपोषित किया जाएगा। भारत सरकार संयुक्त उद्यम कंपनी में डीजीपीसी की इक्विटी के भाग अर्थात् 15% अनुदान के रूप में प्रदान करेगी और 15% इक्विटी शेयर का योगदान एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा दिया जाएगा।

(घ) : जी हाँ, परियोजना के माध्यम से उत्पन्न अधिशेष बिजली की आपूर्ति संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा भारत को की जाएगी। संयुक्त उद्यम जल-विद्युत परियोजनाओं के विकास के संबंध में दिनांक 22.04.2014 को भूटान सरकार और भारत सरकार के बीच अंतर सरकारी करार के अनुसार, परियोजना से बिक्री योग्य ऊर्जा का 12% (विद्युत संयंत्र सहायक खपत को घटाकर उत्पन्न ऊर्जा) परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के पहले 12 वर्षों के दौरान रॉयल्टी ऊर्जा के रूप में और उसके बाद रियायत अवधि की समाप्ति तक 18% विद्युत आरजीओबी को दी जानी है।

शेष ऊर्जा में से, रॉयल्टी ऊर्जा को घटाकर बिक्रीयोग्य ऊर्जा का 70% दीर्घावधि विद्युत खरीद करार रूट के तहत और शेष बाजार तंत्र के माध्यम से बेचा जाएगा। तथापि, आरजीओबी को बिक्री योग्य ऊर्जा पर इनकार करने का पहला अधिकार होगा और भूटान के उपयोग के लिए आवश्यक ऊर्जा से अतिरिक्त ऊर्जा को जेवी कंपनी द्वारा भारत में लाभार्थियों को बेचा जाएगा।

(ङ) : खोलोंगछू जल-विद्युत परियोजना कार्यों को अर्वाइड किए जाने से 59 महीनों की अवधि में शुरू किया जाना है। परियोजना की निर्माण-पूर्व गतिविधियां पूरी कर ली गई हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1641

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

वर्तमान विद्युत परियोजना

1641. श्री विनायक भाऊराव राऊत:

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

श्रीमती रेखा अरूण वर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में इस समय चल रही विद्युत परियोजनाओं का महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा कितनी विद्युत उत्पादित की गई है;
- (ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देशभर में इन परियोजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई है;
- (ग) क्या कुछ परियोजनाएं अत्यधिक लागत/समय का सामना कर रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : वर्तमान में महाराष्ट्र बिहार तथा उत्तर प्रदेश सहित देश में कुल 12,823.5 मेगावाट की 37 जलविद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन हैं।

इन परियोजनाओं के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान लागत/समय आधिक्य के ब्यौरे के साथ-साथ उसके कारणों सहित निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में संस्वीकृत, आवंटित एवं उपयोग की गई राशि का ब्यौरा अनुबंध-1 पर दिया गया है। ये परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, इसलिए इन विद्युत परियोजनाओं से कोई उत्पादन नहीं हो रहा है।

ताप विद्युत परियोजनाओं के संबंध में, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, "कोई उत्पादन कंपनी यदि वह ग्रिड से संयोजन से संबंधित तकनीकी मानकों को पूरा करती है, तो उसे अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना किसी उत्पादन केंद्र की स्थापना, उसका प्रचालन और रख-रखाव कर सकती है। तदनुसार, ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है।"

निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं की सूची अनुबंध-II पर दी गई है। इन परियोजनाओं में से, कुल 19,280 मेगावाट क्षमता की 22 ताप विद्युत परियोजनाएं आंशिक रूप से चालू हो गई हैं और कुल 48,321.14 बीयू विद्युत उत्पादन किया है (अप्रैल से दिसंबर, 2020 तक)। निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं से संबंधित लागत/समय आधिक्य के ब्यौरे के साथ गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, इन परियोजनाओं को स्वीकृत, आबंटित एवं उपयोग की गई राशि का ब्यौरा अनुबंध-II पर दिया गया है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलंब के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं:

- कोविड महामारी के कारण कार्य का बंद होना।
- संविदात्मक मुद्दे।
- रेलवे लाइन/रेलवे साइडिंग्स की तैयारी।
- उपस्कर निर्माताओं द्वारा आपूर्ति में विलंब।
- भूमि अधिग्रहणों में विलंब।
- स्थानीय मुद्दे के कारण कार्य में बाधा।
- मुकदमेबाजी।
- डिजाइन में परिवर्तन के कारण विलंब।
- संयंत्र के संतुलन की तैयारी के कारण विलंब।
- कोयला खदान, कोयला लिंकेज मिलने में विलंब।

विद्युत परियोजनाओं की समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए विद्युत मंत्रालय/सीईए द्वारा निम्नलिखित कार्य/उपाय किए जा रहे हैं:

- (i) विद्युत मंत्रालय/केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) बार-बार स्थलों का दौरा और विकासकर्ताओं एवं अन्य पणधारकों के साथ चर्चा के माध्यम से निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है। सीईए परियोजनाओं को चालू करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को अभिचिन्हित और उनका समाधान करने के लिए विकासकर्ताओं एवं अन्य पणधारकों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।
- (ii) अंतर्मंत्रालयी और अन्य लंबित मुद्दों के त्वरित समाधान को सुकर बनाने के लिए बाधा क्षेत्रों को अभिचिन्हित करने के लिए विद्युत मंत्रालय (एमओपी) में भी नियमित समीक्षाएं की जाती हैं।
- (iii) केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयूज) की परियोजनाओं के मामले में, संबंधित सीपीएसयू और विद्युत मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर किए गए वार्षिक समझौता ज्ञापन में परियोजना क्रियान्वयन मानदंड/लक्ष्य समाविष्ट किए जाते हैं तथा उनकी सीपीएसयू की तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठक और एमओपी/सीईए में आयोजित अन्य बैठकों के दौरान निगरानी की जाती है।
- (iv) मुद्दों का समाधान करने के लिए परियोजना क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों को सहायता प्रदान करने के लिए परियोजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न मामलों को राज्य सरकार/जिला प्रशासन के साथ उठाया जाता है।
- (v) मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) मुद्दों का समाधान करने में परियोजना क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों को सहायता प्रदान करने के लिए मामलों को राज्य सरकार/जिला प्रशासन के साथ उठाया जाता है।
- (vi) जब और जहां कहीं आवश्यक हो, सक्रिय अभिशासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए मामलों की प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रगति पोर्टल में भी समीक्षा की जाती है।

लोक सभा में दिनांक 11.02.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1641 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

समय आधिक्य/लागत आधिक्य वाली निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) का ब्यौरा-राज्य-वार

क्रम सं.	परियोजना का नाम (संस्थापित क्षमता/निष्पादन एजेंसी)	निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (करोड़ रुपये में) (कीमत स्तर)	नवीनतम/ अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में) (कीमत स्तर)	लागत आधिक्य (करोड़ रुपये में) (%)	किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)			समय और लागत आधिक्य के लिए कारण
									2018-19	2019-20	2020-21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश												
1*	पोलावरम (12x80 = 960 मेगावाट) एपीजेको/सिंचाई विभाग, आंध्र प्रदेश	960	2017-18 (मार्च, 18)	2024-25 (मार्च, 25) (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध)	84	3013.68 (2010-11 पीएल) (विद्युत घटक)	5338.95 (2016-17 पीएल) (विद्युत घटक)	2325.27 (77.15)	149.97	6.84	-	<ul style="list-style-type: none"> निधियों की कठिनाई। 19.07.2019 से काम रुका हुआ है क्योंकि एपीजेको ने ठेकेदार (एनईसीएल) को सभी कार्यों को रोकने के लिए कहा और 14.08.2019 को संविदा समाप्ति जारी की गई। अब कार्य शुरू किये जा रहे हैं क्योंकि 14.12.2020 को कानूनी बाधाएं दूर हो गई हैं और कार्य अभी शुरू किए जाने हैं।
अरुणाचल प्रदेश												
2	कामेंग (4x150 = 600 मेगावाट) नीपको 3 यूनिटें प्रचालन में हैं	150	चालू 2009-10 (दिसं., 09)	फर., 21	134	2496.90 (03/04)	6179.96 (03/15)	3683.06 (147.50)	696.06	825.15	179.67 (अक्तू.-20)	<ul style="list-style-type: none"> बांध पैरामीटरों में परिवर्तन। खराब भूविज्ञान, अत्यधिक रिसाव, अपर्याप्त मशीनरी के कारण बांध एवं एचआरटी में धीमी प्रगति। अक्तूबर, 2008 और सितंबर, 2012 में अचानक बाढ़। राज्य सरकार से खदान के लिए स्वीकृति में विलंब। पेनस्टॉक में रिसाव एवं खराबी में सुधार। सिविल संविदाकार के साथ नकदी प्रवाह मामला।
3	सुबानसिरी लोअर (8x250 = 2000 मेगावाट) एनएचपीसी	2000	2009-11 (सितंबर, 10)	2023-24 (अग., 23)	156	6285.33 (12/02)	19992.43 (04/17)	13707.10 (218.08)	782.45	1407.67	324.96 (अग.-20)	<ul style="list-style-type: none"> वन भूमि के हस्तांतरण में विलंब। अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा कार्यों में बाधा। जनवरी, 2008 में पावर हाउस में स्लोप विफलता। परियोजना के निर्माण के विरोध में असम में बांध विरोधी कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए गए आंदोलन के कारण सुरक्षा कार्यों को छोड़कर सभी कार्य दिसंबर, 2011 से अक्तूबर, 2019 तक रुके रहे। दिनांक 15.10.2019 से कार्य पुनः आरंभ हुए।
हिमाचल प्रदेश												
4	पारबती-II (4x200 = 800 मेगावाट) एनएचपीसी	800	2009-10 (सितं., 09)	2021-22 (मार्च, 22)	150	3919.59 (12/01)	9897.59 (04/18)	5978 (152.51)	607.48	599.16	753.79 (अक्तू., 20)	<ul style="list-style-type: none"> संशोधित वन स्वीकृति में विलंब। नवंबर, 2006 में टीबीएम फेस में पानी और गाद के भारी मात्रा में प्रवेश करने के कारण टीबीएम को अत्यधिक क्षति हुई। खराब भूविज्ञान के कारण। 2004, 2005, 2010 और 2011 में अचानक बाढ़।

क्रम सं.	परियोजना का नाम (संस्थापित क्षमता/निष्पादन एजेंसी)	निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (करोड़ रुपये में) (कीमत स्तर)	नवीनतम/ अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में) (कीमत स्तर)	लागत आधिक्य (करोड़ रुपये में) (%)	किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)			समय और लागत आधिक्य के लिए कारण
									2018-19	2019-20	2020-21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												<ul style="list-style-type: none"> संविदा संबंधी मामले। सिविल संविदाकारों के साथ नकदी प्रवाह मामला।
5	लुहरी-I (2x80+2x25= 210 मेगावाट) एसजेवीएन	210	2025-26 (जन.-26)	2025-26 (जन.-26)		1810.56	1810.56	-	-	-	-	-
6	उहल-III (3x33.33 = 100 मेगावाट) बीवीपीसीएल	100	2006-07 (मार्च, 07)	2022-23 (दिसं.,22)	189	431.56 (09/02)	1281.52 (12/12)	849.96 (196.95)	143.57	325.22	-	<ul style="list-style-type: none"> वन भूमि के हस्तांतरण में विलंब। निजी भूमि के अधिग्रहण में विलंब। खदान स्थलों के अंतरण में विलंब। संविदाकार द्वारा धीमी प्रगति और कार्य न करने के कारण दो बार अर्थात् अप्रैल, 2008 और जुलाई, 2010 के दौरान एचआरटी निर्माण के लिए संविदा रद्द की गई। एचआरटी में खराब भौगोलिक स्थिति। जुलाई, 2018 में पेनस्टॉक में लीकेज और मई, 2020 में दरार।
7	शॉगटोम करचम (3x150 = 450 मेगावाट) एचपीपीसीएल	450	2016-17 (मार्च, 17)	2024-25 (मार्च,25)	96	2807.83 (07/11)	2807.83 (07/11)	शून्य	260.49	172.15	60.52 (सितं.-20)	<ul style="list-style-type: none"> आर्मी एम्यूनिशन डिपो का स्थानांतरण। स्थानीय लोगों द्वारा कार्यों में बाधा।
8	बजोली होली 3x60= 180 मेगावाट मैसर्स जीएमआर बजोली होली	180	2018-19 (मई, 18)	2021-22 (दिसं.,21)	43	1696.93 (12/11)	2689.00 (5/20)	992.07 (58.46)	448.00	-	-	<ul style="list-style-type: none"> परियोजना घटकों तक खराब पहुँच के कारण धीमी प्रगति।
9	सोरांग (2x50 = 100 मेगावाट), एचएसपीपीएल	100	2011-12 (नव., '11)	2021-22 (दिसं., 21)	133	586.00 (04/2005)	586.00 (04/2005)	उपलब्ध नहीं	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> खराब भौगोलिक स्थिति। नवंबर, 2013 में वाटर कंडक्टर सिस्टम के भराव के दौरान पेनस्टॉक क्रैक्स/लीकेज और ट्रायल रन के दौरान नवंबर, 2015 में सर्फिस पेनस्टॉक में दरार। विकासकर्ता के पास वित्तीय कठिनाईयां।
10*	टंगनु रोमई-I (2x22 = 44 मेगावाट) टीआरपीजीपीएल	44	2014-15 (जून, 14)	2024-25 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध (4 वर्ष))	129	255.00 (01/07)	641.89 (2018)	386.89 (151.72)	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> विकासकर्ता के साथ निधियों की कमी के कारण कार्य जनवरी, 2015 से रुका है।
11	टिडोंग-I 2x50 =100 मेगावाट एनएसएल टिडोंग (दिनांक 04.09.2018 से स्टेटक्राफ्ट इंडिया प्रा. लिमिटेड ने परियोजना में 100% इक्विटी का अधिग्रहण किया है)	100	2013-14 (दिसं. 13)	2022-23 (जून, 22)	106	543.15 (06/18)	1472.00	928.85 (171.01)	163.74	616.26	80.30 (अक्टूबर-20)	<ul style="list-style-type: none"> परियोजना प्रभावित पंचायतों द्वारा एनओसी में विलंब। सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए कार्यों को स्थगित करना। विकासकर्ता के पास वित्तीय कठिनाईयां।

क्रम सं.	परियोजना का नाम (संस्थापित क्षमता/निष्पादन एजेंसी)	निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (करोड़ रुपये में) (कीमत स्तर)	नवीनतम/ अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में) (कीमत स्तर)	लागत आधिक्य (करोड़ रुपये में) (%)	किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)			समय और लागत आधिक्य के लिए कारण
									2018-19	2019-20	2020-21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	कुटेहर 3x80=240 मेगावाट जेएसडब्ल्यू एनर्जी (कुटेहर) लि.	240	2024-25 (नव., 24)	2025-26 (नव., 25)	12	1798.13 (09/2011)	1798.13 (09/2011)	शून्य	-	-	-	➤ कोविड-19 लॉकडाउन के कारण धीमी गतिशीलता।
जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार												
13	पकल दुल (4x250= 1000 मेगावाट) सीवीपीपीएल	1000	2020-21 (अप्रैल, 20)	2025-26 (जुलाई, '25)	63	8112.12 (03/13)	8112.12 (03/13)	शून्य	92.39	251.04	261.60 (नव., 20)	➤ ऊंची बोलियों के कारण कार्यों के अवार्ड में विलंब।
14	परनई 3x12.5= 37.5 मेगावाट जेकेएसपीडीसी	38	2017-18 (जन., 18)	2022-23 (मार्च, 23)	62	640.86 (पूर्णता लागत)	640.86 (पूर्णता लागत)	शून्य	53.12	-	-	➤ भूमि अधिग्रहण में विलंब।
15*	लोअर कलनई 2x24= 48 मेगावाट जेकेएसपीडीसी	48	2017-18 (सितं., 17)	2025-26 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध (4 वर्ष))	102	576.87 (12/12) (पूर्णता लागत)	576.87 (12/12) (पूर्णता लागत)	शून्य	-	-	-	➤ उप संविदाकारों के साथ भुगतान विवाद और जेकेएसपीडीसी द्वारा संविदा के समय का विस्तार नहीं देने के कारण बांध और पावर हाउस स्थल पर सभी मोर्चों पर कार्य दिनांक 24.01.2018 से रुका है।
16	किरू (4x156=624 मेगावाट) सीवीपीपीएल	624	2023-24 (अग., 23)	2024-25 (अग., 24)	12	4287.59 (09/14)	4287.59 (09/14)	शून्य	-	177.25	67.67 (नव.- 20)	➤ कोविड-19 लॉकडाउन के कारण धीमी गतिशीलता।
17*	रत्ले (4x205+1x30) = 850 मेगावाट आरएचपीपीएल/ एनएचपीसी	850	2017-18 (जन., 18)	2025-26 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध(5 वर्ष))	96	5281.94 (11/18)	5281.94 (11/18)	शून्य	-	-	-	➤ विभिन्न मुद्दों अर्थात आरएंडआर के मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, कानून एवं व्यवस्था की समस्या आदि के कारण परियोजना दिनांक 11.07.2014 से रुकी हुई है। पूर्व में, यह निजी क्षेत्र के विकासकर्ता द्वारा निष्पादित की गई थी और कुछ कार्य पहले से ही किए गए हैं। दिनांक 11 जुलाई, 2014 के बाद से कोई प्रगति नहीं हुई है। जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार और एनएचपीसी ने जे.वी. का गठन किया है। सीसीईए की मंजूरी मिल गई है। कार्य अवार्ड किए जाने हैं।
केरल												
18	पल्लीवसल 2x30 = 60 मेगावाट केएसईबी	60	2010-11 (मार्च, 11)	2022-23 (दिसं., 22)	141	222.00 (1999)	550.00 (2018)	328.00 (147.74)	43.01	53.31	12.43 (अक्टू.- 20)	➤ भूमि अधिग्रहण में विलंब। ➤ एचआरटी में खराब भौगोलिक स्ट्रुक्चर। ➤ संविदात्मक मामलों के कारण दिनांक 28.01.2015 से 11.04.2017 तक संविदाकार द्वारा कार्य रोक दिया गया। संविदा 13.09.2018 को समाप्त हो गई और अगस्त, 2019 में पुनः अवार्ड की गई।

क्रम सं.	परियोजना का नाम (संस्थापित क्षमता/निष्पादन एजेंसी)	निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (करोड़ रुपये में) (कीमत स्तर)	नवीनतम/ अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में) (कीमत स्तर)	लागत आधिक्य (करोड़ रुपये में) (%)	किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)			समय और लागत आधिक्य के लिए कारण
									2018-19	2019-20	2020-21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	थोटियार (1x30+1x10)= 40मेगावाट केएसईबी	40	2012-13 (अप्रैल, 12)	2021-22 (अप्रैल, 21)	108	136.79 (2007)	280 (2018)	143.21 (104.69)	2.53	13.59	5.41 (अक्टू.- 20)	<ul style="list-style-type: none"> भूमि अधिग्रहण के मुद्दे। स्थानीय लोगों द्वारा 2010 से 2012 तक वायर और अप्रोच चैनल के कार्य रोक दिए गए। न्यायालय द्वारा 12.12.2012 से अप्रैल, 2013 तक कार्य रोक दिया गया। विकासकर्ता की वित्तीय कठिनाइयों के कारण अप्रैल, 2017 में संविदा का पुरोबंध और शेष कार्य जनवरी, 2018 में पुनः अवार्ड।
	मध्य प्रदेश											
20*	महेश्वर (10x40 = 400 मेगावाट) एसएमएचपीसीएल	400	2001-02 (मार्च, 02)	2023-24 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध(दोवर्ष)	264	1569.27 (96-97)	8121.00 (2016-17)	6551.73 (417.50)	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> विकासकर्ता के साथ नकदी प्रवाह की समस्या के कारण नवंबर, 11 से कार्य बंद हैं। एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने 18.04.2020 को एसएमएचपीसीएल के साथ विद्युत क्रय करार को समाप्त कर दिया है। अग्रणी ऋणदाता के रूप में पीएफसी ने 01 जून, 2016 से एसएमएचपीसीएल में अधिक इक्विटी अर्थात 51% का अधिग्रहण किया। मामला न्यायाधीन है। विवरण परिशिष्ट-III में दिए गए हैं। एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने एसएमएचपीसीएल के साथ विद्युत क्रय करार, आरएंडआर करार और एस्करो एग्रीमेंट क्रमशः 18.04.20 और 20.04.20 को समाप्त कर दिया है।
	महाराष्ट्र											
21*	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस 2x40 = 80 मेगावाट डब्ल्यूआरडी, महा.	80	2014-15 (अक्टू., 14)	2025-26 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध (4 वर्ष)	137	245.02 (1999)	1403.77 (2014)	1158.75 (472.92)	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> परियोजना जुलाई, 2015 से रुकी हुई है। परियोजना में वर्तमान व्यय लगभग मूल प्रशासनिक अनुमोदित लागत स्तर तक पहुंच चुका है। परियोजना के पुनरुद्धार का प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार को प्रस्तुत किया गया है।
	पंजाब											
22	शाहपुरकंडी 3x33+3x33+1x8 =206 मेगावाट, सिंचाई विभाग एवं पीएसपीसीएल	206	2015-16	2023-24 (दिसं., 23)	93	1835.50 (04/08) (विद्युत घटक)	1938.74 (02/18) (विद्युत घटक)	103.24 (5.62)	79.96	332.85	2.64	<ul style="list-style-type: none"> रावी नदी के जल बंटवारे एवं प्रशुल्क पर जम्मू एवं कश्मीर तथा पंजाब राज्यों के बीच अंतरराज्यीय विवाद के कारण 29.08.2014 से बांध का कार्य रुक गया।
	सिक्किम											
23	तीस्ता स्टेज-VI (4x125 = 500 मेगावाट) लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लि. (एलटीएचपीएल) (परियोजना एनएचपीसी द्वारा दिनांक 08.03.2019	500	2012-13 (जुलाई, 12)	2023-24 (मार्च, 24)	72	5748.04 (07/2018)	5748.04 (07/2018)	शून्य	897.50	-	-	<ul style="list-style-type: none"> खराब भौगोलिक स्थिति। भूमि अधिग्रहण। संविदा संबंधी मामले। विकासकर्ता (निजी) के साथ निधि संबंधी बाधाएं और अप्रैल, 2014 से काम बंद। मैसर्स एलटीएचपीएल कारपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के

क्रम सं.	परियोजना का नाम (संस्थापित क्षमता/निष्पादन एजेंसी)	निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (करोड़ रुपये में) (कीमत स्तर)	नवीनतम/ अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में) (कीमत स्तर)	लागत आधिक्य (करोड़ रुपये में) (%)	किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)			समय और लागत आधिक्य के लिए कारण
									2018-19	2019-20	2020-21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	कुंडहा पीएसपी (फेज-I, फेज-II और फेज-III) (4x125=500 मेगावाट) टेनजेडको	500	2021-22 (अग., 21)	2023-24 (अप्रैल,23)	20	1216.59 (2007-08)	1831.29 (2014)	614.7 (50.52)	84.78	79.39	68.90 (Dec- 20)	> 05/2018 से केवल सिविल एवं एचएम कार्य शुरू किए गए हैं।
	उत्तराखंड											
30*	लता तपोवन (3x57 = 171 मेगावाट) एनटीपीसी	171	2017-18 (अग., 17)	2025-26 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध(4 वर्ष))	103	1527.00 (07/12)	जब काम फिर से शुरू होता है तो गणना की जाएगी।	NA	1.16	-	-	जून, 2013 में उत्तराखंड आपदा के बाद, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 13.08.2013 को निर्णय दिया कि "एमओईएफ और साथ ही उत्तराखंड राज्य अगले आदेशों तक किसी भी जल विद्युत परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी या वन मंजूरी न दे"। इसलिए, निर्माण कार्य बंद हो गया। मामला न्यायाधीन है।
31	तपोवन विष्णुगाड (4x130 = 520 मेगावाट) NTPC	520	2012-13 (मार्च, 13)	2022-23 (दिसं., 22)	117	2978.48 (03/04)	5867.38 (04/19)	2888.90 (96.99)	417.20	527.07	206.51 (अक्टू.,20)	> एचआरटी में खराब भूविज्ञान और टीबीएम पर पत्थर गिरने के कारण अत्यधिक जल का प्रवेश। टीबीएम तीन बार शुरू किया गया। > अगस्त, 2012 और जून, 2013 में अचानक बाढ़ के कारण कॉफर डैम का क्षतिग्रस्त होना। > बैराज और एचआरटी के लिए सिविल संविदाओं की समाप्ति। > सिविल संविदाकारों के साथ नकदी प्रवाह मामला।
32	टिहरी पीएसएस (4x250 = 1000 मेगावाट) टीएचडीसी	1000	2010-11 (जुलाई. 10)	2022-23 (दिसं., 22)	149	1657.60 (12/05)	5024.35 (02/19)	3366.75 (203.10)	252.22	582.46	313.05 (अक्टू.,20)	> खराब भूविज्ञान। > असना खदान/भक निपटान क्षेत्र में स्थानीय आंदोलन। > खराब भूविज्ञान के कारण मशीन हॉल से ले आउट का पुनरीक्षण। > ठेकेदार के साथ नकदी प्रवाह की समस्या।
33	विष्णुगाड पीपलकोटि (4x111 = 444 मेगावाट) टीएचडीसी	444	2013-14 (जून, 13)	2023-24 (दिसं., 23)	126	2491.58 (03/08)	4397.80 (02/19)	1906.22 (76.50)	210.72	332.63	138.11 (अक्टू.,20)	> सीसीईए अनुमोदन अगस्त, 2008 में प्राप्त परंतु वन स्वीकृति/वन भूमि के परिवर्तन के कारण कार्य अवाई नहीं किया जा सका। वन भूमि जनवरी, 2014 में अधिगृहीत की गई तथा बाद में जनवरी, 2014 में कार्य अवाई किया गया। > स्थानीय लोगों द्वारा निर्माण कार्य में बाधा। > संविदाकार के पास नकद प्रवाह समस्या।
34	नैतवार मोरी (2x30 =60 मेगावाट) एसजेवीएन	60	2021-22 (दिसं.-21)	2021-22 (दिसं.-21)	-	648.33	648.33	-	-	-	-	-
35	व्यासी 2x60=120 मेगावाट, यूजेवीएनएल	120	2014-15 (दिसं., 14)	2022-23 (अप्रैल, 22)	88	936.23 (02/10)	1581.01 (2019)	644.78 (68.86)	395.06	387.41	146.41 (सितं.-20)	> कार्यों के अवाई में विलंब। > स्थानीय लोगों द्वारा आंदोलन।
36*	फाटा ब्युंग (2x38 = 76 मेगावाट), लैंको	76	2012-13 (Jun'12)	2024-25 (कार्यों के पुनः शुरू होने से	153	520.00 (2013-14)	1132 (09/16)	612 (117.69)	-	-	-	> ठेकेदार/विकासकर्ता के पास वित्तीय संकट के कारण जुलाई, 2017 से कार्य रुका हुआ है। कंपनी आईबीसी के तहत जून, 2020 से परियोजना के समाधान और पुनरुद्धार के लिए शुरू

क्रम सं.	परियोजना का नाम (संस्थापित क्षमता/निष्पादन एजेंसी)	निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (करोड़ रुपये में) (कीमत स्तर)	नवीनतम/ अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में) (कीमत स्तर)	लागत आधिक्य (करोड़ रुपये में) (%)	किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)			समय और लागत आधिक्य के लिए कारण
									2018-19	2019-20	2020-21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				संबद्ध (3 वर्ष)								की गई एक कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है। इस प्रक्रिया के तहत, एनसीएलटी द्वारा नियुक्त संकल्प पेशेवर ने परियोजना के लिए संभावित निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए प्रक्रिया शुरू की है।
	पश्चिम बंगाल											
37	रम्साम-III (3x40= 120 मेगावाट)	120	2019-20 (सितं., 19)	2022-23 (नवं., 22)	38	1381.84 (09/14)	1381.84 (09/14)	शून्य	125.75	70.11	88.55 (अक्टू.,20)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ एडिट-1 से एडिट-2 तक संपर्क सड़क के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से पेड़ों को काटने के लिए अनुमति प्राप्त होने में विलंब। ➤ सिविल संविदाकारों के साथ नकदी प्रवाह मामला। ➤ वर्ष 2017 में गोरखालैंड आंदोलन के दौरान हड़ताल/बंद।

टिप्पणी:- यह उल्लेख करना है कि लागत की गणना को नवीनतम लागत (मूल्य स्तर के साथ सीईए के लिए विकासकर्ता द्वारा प्रदान की गई) और केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मूल लागत के बीच अंतर के रूप में गणना की गई है। अधिकांश मामलों में विकासकर्ताओं द्वारा द्वारा वर्तमान मूल्य स्तर पर नवीनतम लागत प्रदान नहीं की गई है

*निर्माण रुका हुआ है।

लोक सभा में दिनांक 11.02.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1641 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में व्यय सहित निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	यूनिट संख्या	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की अनुमानित अनुसूची	अनुमानित लक्ष्य अनुसूची/सी ओडी	मूल लागत (करोड़ रुपए)	नवीनतम लागत (करोड़ रुपए)	2017-18 के दौरान व्यय	2018-19 के दौरान व्यय	2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के दौरान व्यय	लागत आधिक्य (करोड़ रुपए)	समय आधिक्य (माह में)
केंद्रीय क्षेत्र															
1	बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-I	यू-1	660	अगस्त-09	जनवरी-21	फरवरी-21	8693	21312.1	1395	1366.84	1438.05	760.77	12619.1	137
			यू-2	660	जून-10	अगस्त-21	सितंबर-21								134
			यू-3	660	अप्रैल-11	मार्च-22	अप्रैल-22								131
2	बिहार	नबी नगर टीपीपी	यू-4	250	नवंबर-13	जनवरी-21	फरवरी-21	5352.51	9996.59	705.71	620.79	387.61	330.06	4644.08	86
3	बिहार	न्यू नबी नगर टीपीपी	यू-2	660	जुलाई-17	जनवरी-21	फरवरी-21	13624.02	17304.3	2265	1786	1373.21	817.09	3680.28	42
			यू-3	660	जनवरी-18	मई-21	जून-21								40
4	झारखंड	नॉर्थ करनपुरा एसटीपीपी	यू-1	660	फरवरी-18	सितंबर-21	अक्टूबर-21	14367	15164.05	2042	1699.13	1712.99	840.81	797.05	43
			यू-2	660	अगस्त-18	मार्च-22	अप्रैल-22								43
			यू-3	660	फरवरी-19	सितंबर-22	अक्टूबर-22								43
5	मध्य प्रदेश	गादरवाड़ा एसटीपीपी	यू-2	800	सितंबर-17	जनवरी-21	फरवरी-21	11638.55	15105.22	1914.61	1475.31	162.08	476.73	3466.67	40
6	ओडिशा	दरलीपल्ली एसटीपीपी	यू-2	800	जून-18	मार्च-21	मार्च-21	12532.44	13740.53	2100	1531.66	1620.08	515.40	1208.09	33
7	तमिलनाडु	नेयवेली न्यू टीपीपी	यू-2	500	मार्च-18	नवंबर-20	फरवरी-21	5907.11	7980.79	1099.36	739.95	728.43	159.57	2073.68	32
8	तेलंगाना	तेलंगाना एसटीपीपी चरण- I	यू-1	800	जनवरी-20	अक्टूबर-21	जनवरी-22	10599	11811	1035	2522.06	2537.67	996.42	1212	21
			यू-2	800	जुलाई-20	मार्च-22	मार्च-22								20
9	उत्तर प्रदेश	टांडा टीपीपीचरण II	यू-6	660	मार्च-19	फरवरी-21	मार्च-21	9188.98	10016.1	1671.12	1553.25	1419.53	496.25	827.12	23
10	उत्तर प्रदेश	घाटमपुर टीपीपी	यू-1	660	अप्रैल-20	अप्रैल-21	अक्टूबर-21	17237.8	17237.8	909.5	3519.04	3525.2	1525.73	0	12
			यू-2	660	अक्टूबर-20	जुलाई-21	फरवरी-22								9
			यू-3	660	अक्टूबर-20	अक्टूबर-21	जून-22								12
11	राजस्थान	बरसीनगर टीपीपीएक्टेशन	यू-1	250	मई-20	रुकी हुई	रुकी हुई	2112.59	2112.59	154.7	3.67	-	-	0.00	-
12	राजस्थान	बिथनोक टीपीपी	यू-1	250	मई-20	रुकी हुई	रुकी हुई	2196.3	2196.3	169.79	3.67	-	-	0	-
13	झारखंड	पतरातु एसटीपीपी	यू-1	800	जनवरी-22	जनवरी-23	मार्च-23	17112	17112	992.11	742	1112.1	652.40	0	12.00
			यू-2	800	सितंबर-22	जुलाई-23	सितंबर-23								10.00
			यू-3	800	दिसंबर-22	जनवरी-24	मार्च-24								13.00
14	ओडिशा	राउरकेल पीपी-II विस्तार	यू-1	250	दिसंबर-18	फरवरी-21	मार्च-21	1885.13	1885.13	515.81	448.96	354.67	163.76	0	26.00
15	उत्तर प्रदेश	खुर्जा एससीटीपीपी	यू-1	660	मार्च-23	अगस्त-23	फरवरी-24	11089.42	11089.42			938.4	359.46	0.00	5.00
			यू-2	660	सितंबर-23	फरवरी-24	अगस्त-24								5.00
16	बिहार	बक्सर टीपीपी	यू-1	660	जुलाई-23	जुलाई-23	जुलाई-23	10439.09	10439.09			850	-	0.00	0.00
			यू-2	660	जनवरी-24	जनवरी-24	जनवरी-24								0.00
राज्य क्षेत्र															
1	आंध्र प्रदेश	डॉ. नरला टाटा राव टीपीएस चरण-V	यू-1	800	जून-19	मार्च-21	अप्रैल-21	5286.54	5707	1235.62	1756.04	826.65	327	420.46	21.00
2	आंध्र प्रदेश	श्री दामोदरम संजीवैया टीपीपीचरण-II	यू-1	800	मार्च-19	जनवरी-21	मई-21	4276.04	6841.7	1288.53	2685.33	462.53	उपलब्ध नहीं	2565.66	22.00

3	राजस्थान	सूरतगढ़ एससीटीपीपी	यू-8	660	दिसंबर-16	फरवरी-21	मार्च-21	7920	10548.735	392.64	554.2	1055.68	637.67	2628.735	50.00
4	तेलंगाना	भद्रादी टीपीपी	यू-3	270	जुलाई-17	दिसंबर-20	फरवरी-21	5044	8536.98	2003	1971	1706.97	उपलब्ध नहीं		0.00
			यू-4	270	सितंबर-17	मार्च-21	मार्च-21								41.00
5	तमिलनाडु	एन्नोर विस्तारएससीटीपीपी	यू-1	660	जनवरी-18	अनिश्चित	अनिश्चित	4956	5421.38	462.25	-	-	-	465.38	-
6	तमिलनाडु	एन्नोर एससीटीपीपी	यू-1	660	जनवरी-18	मार्च-22	मई-22	9800	9800	1261.67	2606.93	908.61	-	0	50.00
			यू-2	660	मार्च-18	मई-22	अगस्त-22								50.00
7	तमिलनाडु	नॉर्थ चैन्नई टीपीपीचरण-III	यू-1	800	मार्च-19	जून-21	जून-21	6376	6376	929.75	2243.52	2090.62	606.39	0	27.00
8	तमिलनाडु	उप्पुर सुपर क्रिटिकल टीपीपी	यू-1	800	मार्च-19	फरवरी-23	सितंबर-23	12778	12778	226.62	1594.15	924.32	272.81	0	47.00
			यू-2	800	अक्टूबर-19	अगस्त-23	अप्रैल-24								46.00
9	उत्तर प्रदेश	हरदुआगंज टीपीएस विस्तार-II	यू-1	660	जून-19	दिसंबर-20	जून-21	4826.49	5500.98	458.1	1223.83	1337.16	526.42	674.49	18.00
10	कर्नाटक	येलहंका सीसीपीपी	GT+ST	370	मार्च-18	सितंबर-21	सितंबर-21	1571.18	1659.0377	932.17	348.83	311.35	-	87.8577	42.00
11	उत्तर प्रदेश	जवाहरपुर एसटीपीपी	यू-1	660	सितंबर-20	अप्रैल-22	अक्टूबर-22	10566.27	10566.27	805	991	2286	935	0	19.00
			यू-2	660	जनवरी-21	अक्टूबर-22	अप्रैल-23								21.00
12	उत्तर प्रदेश	ओबरा-सीएसटीपीपी	यू-1	660	सितंबर-20	अप्रैल-21	जनवरी-23	10416	10416	285.4	901.83	1960	830.64	0	7.00
			यू-2	660	दिसंबर-20	जुलाई-21	मई-23								7.00
13	तेलंगाना	यदाद्री टीपीएस	यू-1	800	सितंबर-20	मई-21	मई-21	29965	29965	975.63	3276.9	2282.97	-	0	8.00
			यू-2	800	सितंबर-20	मई-21	मई-21								8.00
			यू-3	800	मार्च-21	जून-22	जून-22								15.00
			यू-4	800	मार्च-21	जून-22	जून-22								15.00
			यू-5	800	सितंबर-21	जून-22	जून-22								9.00
14	उत्तर प्रदेश	पनकी टीपीएस विस्तार तमिलनाडु	यू-1	660	जनवरी-22	जनवरी-22	जनवरी-22	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं		543.29	837.26	709.81	उपलब्ध नहीं	0.00
15	तमिलनाडु	उदानगुडी एसटीपीपीचरण-I	यू-1	660	फरवरी-21	मई-22	मई-22	13076.705	13076.71	118	336.43	654.76	1168.72	0	15.00
			यू-2	660	फरवरी-21	जुलाई-22	जुलाई-22								17.00
16	महाराष्ट्र	भुसावल टीपीएस	यू-6	660	नवंबर-21	मार्च-22	जून-22	4550.98	4550.98	15.33	34.23	696.32	650.46	0	4.00
17	पश्चिम बंगाल	सागरदिघी थर्मल पावर प्लांट फेज-III	यू-1	660			जनवरी-24	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	-	-	-	-	उपलब्ध नहीं	
निजी क्षेत्र															
1	आंध्र प्रदेश	भावनापाड़ टीपीपीफेज-I	यू-1	660	अक्टूबर-13	अनिश्चित	अनिश्चित	6571.94	9343.15	-	-	-	-	2771.21	-
			यू-2	660	मार्च-14	अनिश्चित	अनिश्चित								-
2	आंध्र प्रदेश	थम्मिनापट्टनम टीपीपीचरण-II	यू-3	350	मई-12	अनिश्चित	अनिश्चित	5005	5414.4	747.15	334.5	-	-	409.4	-
			यू-4	350	अगस्त-12	अनिश्चित	अनिश्चित								-
3	छत्तीसगढ़	अकलतारा टीपीपी	यू-4	600	अप्रैल-13	अनिश्चित	अनिश्चित	16190	27080	-	-	-	-	10890	-
			यू-5	600	अगस्त-13	अनिश्चित	अनिश्चित								-
			यू-6	600	दिसंबर-13	अनिश्चित	अनिश्चित								-
4	बिहार	सिरिया टीपीपी	यू-1	660	अगस्त-14	अनिश्चित	अनिश्चित	11120	11120	-	-	-	-	0	-
			यू-2	660	दिसंबर-14	अनिश्चित	अनिश्चित								-
			यू-3	660	अप्रैल-15	अनिश्चित	अनिश्चित								-
			यू-4	660	अगस्त-15	अनिश्चित	अनिश्चित								-
5	छत्तीसगढ़	बिंजकोट टीपीपी	यू-3	300	मार्च-14	अनिश्चित	अनिश्चित	5058	7940	-	-	-	-	2882	-
			यू-4	300	जून-14	अनिश्चित	अनिश्चित								-
6	छत्तीसगढ़	लैंको अमरकंटक टीपीपी-II	यू-3	660	जनवरी-12	अनिश्चित	अनिश्चित	6886	10815.24	-	-	-	-	3929.24	-

			यू-4	660	मार्च-12	अनिश्चित	अनिश्चित								-
7	छत्तीसगढ़	सिंघीतराई टीपीपी	यू-1	600	नवंबर-14	अनिश्चित	अनिश्चित	6200	8443.79	111.81	-	-	-	2243.79	-
			यू-2	600	फरवरी-15	अनिश्चित	अनिश्चित								-
8	छत्तीसगढ़	सलोरटीपीपी	यू-2	135	सितंबर-11	अनिश्चित	अनिश्चित	1458.44	2386.89	-	-	-	-	928.45	-
9	छत्तीसगढ़	देवरी (वीसा) टीपीपी	यू-1	600	अगस्त-13	अनिश्चित	अनिश्चित	2618.7	3930	-	-	-	-	1311.3	-
10	झारखंड	मातृश्री ऊषा टीपीपीफेज-I	यू-1	270	अप्रैल-12	अनिश्चित	अनिश्चित	2900	3120	-	-	-	-	220	-
			यू-2	270	मई-12	अनिश्चित	अनिश्चित								-
11	झारखंड	मातृश्री ऊषा टीपीपीफेज-II	यू-3	270	अक्टूबर-12	अनिश्चित	अनिश्चित	3182	3182	-	-	-	-	0	-
			यू-4	270	जनवरी-13	अनिश्चित	अनिश्चित								-
12	झारखंड	तोरी टीपीपीफेज-I	यू-1	600	जुलाई-12	अनिश्चित	अनिश्चित	5700	5700	-	-	-	-	0	-
			यू-2	600	सितंबर-12	अनिश्चित	अनिश्चित								-
13	झारखंड	तोरी टीपीपीफेज-II	यू-3	600	दिसंबर-15	अनिश्चित	अनिश्चित	2500	2500	-	-	-	-	0	-
14	महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II	यू-1	270	जुलाई-14	अनिश्चित	अनिश्चित	6646	6646	-	-	-	-	0	-
			यू-2	270	सितंबर-14	अनिश्चित	अनिश्चित								-
			यू-3	270	नवंबर-14	अनिश्चित	अनिश्चित								-
			यू-4	270	जनवरी-15	अनिश्चित	अनिश्चित								-
			यू-5	270	मार्च-15	अनिश्चित	अनिश्चित								-
15	महाराष्ट्र	लेंको विदर्भ टीपीपी	यू-1	660	जुलाई-14	अनिश्चित	अनिश्चित	6936	10433	-	-	-	-	3497	-
			यू-2	660	नवंबर-14	अनिश्चित	अनिश्चित								-
16	महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-II/रतन इंडिया नासिक पावर प्राइवेट लिमिटेड बीटीजी-भेल	यू-1	270	अप्रैल-13	अनिश्चित	अनिश्चित	6789	6789	-	-	-	-	0	-
			यू-2	270	जून-13	अनिश्चित	अनिश्चित								-
			यू-3	270	अगस्त-13	अनिश्चित	अनिश्चित								-
			यू-4	270	अक्टूबर-13	अनिश्चित	अनिश्चित								-
			यू-5	270	दिसंबर-13	अनिश्चित	अनिश्चित								-
17	महाराष्ट्र	बिजोराघनमुख टीपीपी	यू-1	300	दिसंबर-16	अनिश्चित	अनिश्चित	3189	3450	-	-	-	-	261	-
			यू-2	300	मार्च-17	अनिश्चित	अनिश्चित								-
18	महाराष्ट्र	शौरपुर टीपीपी, शौरपुर पावर प्राइवेट लिमिटेड - भेल	यू-2	150	अप्रैल-15	अनिश्चित	अनिश्चित	2413	2413	106.22	-	-	-	0	-
19	मध्य प्रदेश	गोरगी टीपीपी	यू-1	660	जून-13	अनिश्चित	अनिश्चित	3941	3941	-	-	-	-	0	-
20	ओडिशा	इंड बराथ टीपीपी (ओडिशा)	यू-2	350	दिसंबर-11	अनिश्चित	अनिश्चित	3150	4254	1	-	-	-	1104	-
21	ओडिशा	केवोके नीलांचल टीपीपी	यू-1	350	दिसंबर-11	अनिश्चित	अनिश्चित	4990	6000	-	-	-	-	1010	-
			यू-2	350	फरवरी-12	अनिश्चित	अनिश्चित								-
			यू-3	350	फरवरी-12	अनिश्चित	अनिश्चित								-
22	ओडिशा	लेंको बाबंध टीपीपी	यू-1	660	अप्रैल-13	अनिश्चित	अनिश्चित	6930	10430	-	-	-	-	3500	-
			यू-2	660	अगस्त-13	अनिश्चित	अनिश्चित								-
23	ओडिशा	मली ब्राह्मणी टीपीपी	यू-1	525	दिसंबर-12	अनिश्चित	अनिश्चित	5093	6330	-	-	-	-	1237	-
			यू-2	525	फरवरी-13	अनिश्चित	अनिश्चित								-
24	तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी	यू-1	660	मई-12	अनिश्चित	अनिश्चित	3595	3595	-	-	-	-	0	-
25	तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी चरण-IV	यू-1	525	सितंबर-18	फरवरी-21	मार्च-21	3514	3514	822.94	508.91	852.6	1437.94	0	-
26	पश्चिम बंगाल	हिरनमये एनर्जी लि.	यू-3	150	मई-16	अनिश्चित	अनिश्चित	2656	3307	48.09	-	-	-	651	-

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1648

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

विद्युत परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण

1648. सुश्री मिमी चक्रवर्ती:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी और निजी विद्युत परियोजनाओं सहित विभिन्न विद्युत परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि के कारण प्रभावित हुए लोगों को मुआवजा देने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि से प्रभावित लोगों को कोई मुआवजा दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013) सहित विभिन्न केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा भूमि अधिग्रहण किया जाता है। प्रतिकर जैसाकि अधिनियम की अनुसूची-1 में विस्तृत विवरण दिया गया है, सहित आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के उपबंधों का क्रियान्वयन उक्त अधिनियम की धारा 3(ड) यथा परिभाषित 'उपयुक्त सरकार' द्वारा किया जाता है। जहां तक निजी विद्युत परियोजनाओं का संबंध है, प्रतिकर का भुगतान संबंधित राज्यों की नीतियों के अनुसार निजी कंपनियों के द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग) : जी, हाँ। विभिन्न राज्यों में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए प्रभावित लोगों को प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है। ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 11.02.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1648 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

प्रभावित लोगों को भुगतान किए गए प्रतिकर का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	यूटिलिटी	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रभावित लोगों को भुगतान किए गए प्रतिकर की राशि (रुपये करोड़ में)				
			2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	कुल
1.	एनएचपीसी लि.	अरुणाचल प्रदेश	कोई नहीं	24.6658	कोई नहीं	कोई नहीं	24.6658
2.	एनएचपीसी लि.	जम्मू और कश्मीर	0.6679	0.2575	कोई नहीं	कोई नहीं	0.9254
3.	एनएचपीसी लि.	पश्चिम बंगाल	1.249	0.1937	कोई नहीं	कोई नहीं	1.4427
4.	एनएचपीसी लि.	सिक्किम	कोई नहीं	6.7978	कोई नहीं	कोई नहीं	6.7978
5.	एनएचपीसी लि.	हिमाचल प्रदेश	1.1198	0.2847	3.7602	0.08	5.2447
6.	एनटीपीसी लि.	बिहार	0.54	21.04	0.44	कोई नहीं	22.02
7.	एनटीपीसी लि.	छत्तीसगढ़	0.46	1.77	14.30	1.28	17.81
8.	एनटीपीसी लि.	महाराष्ट्र	66.76	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	66.76
9.	एनटीपीसी लि.	मध्य प्रदेश	कोई नहीं	5.13	कोई नहीं	कोई नहीं	5.13
10.	एनटीपीसी लि.	ओडिशा	कोई नहीं	60.81	कोई नहीं	1.82	62.63
11.	एसजेवीएन लि.	बिहार	0.19	27.53	46.62	कोई नहीं	74.34
12.	एसजेवीएन लि.	हिमाचल प्रदेश	कोई नहीं	कोई नहीं	3.30	कोई नहीं	3.30
13.	डीवीसी	झारखंड	20.36	1.74	39.99	कोई नहीं	62.09
14.	डीवीसी	पश्चिम बंगाल	0.14	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	0.14
15.	पीजीसीआईएल	आंध्र प्रदेश	कोई नहीं	1.8255	कोई नहीं	कोई नहीं	1.8255
16.	टीएचडीसीआईएल	उत्तराखंड	0.12	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	0.12
17.	टीएचडीसीआईएल	उत्तर प्रदेश	कोई नहीं	19.12	कोई नहीं	कोई नहीं	19.12
18.	बीबीएमबी	हिमाचल प्रदेश	0.0232	0.0499	0.1388	0.01	0.2220
19.	बीबीएमबी	पंजाब	कोई नहीं	कोई नहीं	0.6983	0.2345	0.9328

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1655

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

पावर ग्रिडों का क्षमता उपयोग

1655. श्री जी.एम. सिद्धेश्वर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बायोमास और जैव-ईंधन से पनबिजली और विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों को प्रारंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा पारेषण की अड़चनों को समाप्त करने और इसके कारण हुए नुकसान को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) पावर ग्रिड के क्षमता उपयोग को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा के वितरण और पारेषण में क्या सुधार किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : जल विद्युत और बायोमास तथा जैव-ईंधन से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत रूपरेखा पहले से ही मौजूद है। वह इस प्रकार है:

(I) जल विद्युत के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने 8 मार्च, 2019 को देश में जल विद्युत क्षेत्र को प्रोत्साहित करने लिए कई उपायों को अनुमोदन दिया, जो निम्नानुसार हैं:

(i) बड़ी जल विद्युत (एलएचपी) (> 25 मेगावाट की परियोजनाएं) की नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषणा।

- (ii) गैर-सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के भीतर एक अलग इकाई के रूप में जल विद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ)।
- (iii) जल विद्युत टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ युक्तिकरण उपाय।
- (iv) बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बजटीय सहायता।
- (v) बुनियादी ढांचे अर्थात् सड़कों/पुलों को बनाने की लागत के लिए बजटीय सहायता।

(क) 200 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए प्रति मेगावाट 1.5 करोड़ रुपये।

(ख) 200 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं के लिए प्रति मेगावाट 1.0 करोड़ रुपये।

- (II) बायोमास आधारित उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है:

- क) चीनी मिलों और अन्य उद्योगों में बायोमास आधारित सह-उत्पादन (मार्च, 2021 तक)। इस स्कीम के तहत सभी प्रकार के बायोमास जैसे बगैस, चावल की भूसी, चावल के चारे आदि से विद्युत उत्पादन करने वाली पात्र परियोजनाओं को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- ख) शहरी, कृषि और औद्योगिक अपशिष्ट से बायोगैस/बायो-सीएनजी/विद्युत/उत्पादक गैस की परियोजनाओं की स्थापना और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 'शहरी, औद्योगिक, कृषि अपशिष्ट/अवशेषों और नगरपालिका के ठोस अपशिष्टों से ऊर्जा पर कार्यक्रम' (मार्च, 2021 तक)। इस स्कीम के तहत अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- ग) 3 किलोवाट से 250 किलोवाट की सीमा तक विद्युत उत्पादन संस्थापित क्षमता के साथ प्रति दिन 30 एम³ से 2500 एम³ तक के आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करके डीजल और केरोसिन की खपत को कम करने के लिए, बायोगैस उत्पादन के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से विकेंद्रीकृत ऑफ-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम के तहत बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन (ऑफ-ग्रिड) और थर्मल एनर्जी एप्लीकेशन प्रोग्राम (बीपीजीटीपी)।

हाल ही में स्कीमों का मूल्यांकन किया गया है। मूल्यांकन की सिफारिशों के आधार पर, मार्च 2021 के बाद भी उक्त स्कीमों को जारी रखने के प्रस्ताव पर मंत्रालय में कार्रवाई शुरू की गई है।

इसके साथ-साथ, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने पल्वराइज्ड कोल फायर्ड बॉयलरों में को-फायरिंग के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लिए बायोमास के उपयोग के लिए भी नीति बनाई है। नीति के अनुसार, भारत में स्थित, सार्वजनिक या निजी, विद्युत उत्पादक यूटिलिटीयों की सभी फ्लूइडिजाइस बेड और पल्वराइज्ड कोल यूनिटें (कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों), जिनकी बॉल और ट्यूब मिल हैं, को छोड़कर, तकनीकी व्यवहार्यता अर्थात् सुरक्षा संबंधी पहलुओं का आकलन करने के पश्चात् कोयले के साथ-साथ मुख्यतः कृषि अवशेषों से बने बायोमास पेलेट्स के 5-10% मिश्रण का उपयोग करने का प्रयास करेंगे।

(ग) : देश में उत्पादन केंद्रों से भार केंद्रों तक विद्युत की निकासी के लिए पर्याप्त पारेषण क्षमता की योजना बनाई गई है। वर्ष 2021-22 के दौरान 225.7 गीगावाट की अनुमानित अधिकतम विद्युत की मांग (19 वीं इलेक्ट्रिक

पावर सर्वे रिपोर्ट के अनुसार) को पूरा करने हेतु, वर्ष 2017-22 की अवधि के लिए पारेषण प्रणाली (पारेषण लाइन और संबंधित उप केंद्रों) की योजना पहले ही बनाई जा चुकी है।

प्रचालनधीन पारेषण प्रणाली की निगरानी राज्य/क्षेत्रीय/राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्रों द्वारा की जाती है और यदि कोई बाधाएं उत्पन्न होती हैं तो, उनका मामला दर मामला आधार पर समन्वित पारेषण नियोजन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में निपटान किया जाता है।

(घ) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। अधिकांश वितरण कंपनियों संबंधित राज्य सरकार के स्वामित्व में हैं। यह वितरण लाइसेंसधारियों की जिम्मेदारी है कि वे अपनी वितरण प्रणाली की योजना बनाएं ताकि सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराई जा सके और उनकी विद्युत वितरण ग्रिडों की क्षमता का उपयोग किया जा सके।

मौजूदा पारेषण परिसंपत्तियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करते हुए, विश्वसनीयता पहलुओं तथा भावी भार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पारेषण प्रणाली की योजना विभिन्न भार उत्पादन के परिदृश्यों के लिए बनाई गई है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में चल रही अपनी विभिन्न स्कीमों जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से शहरी वितरण क्षेत्र को सूचना प्रौद्योगिकी हेतु सक्षम बनाने, एचटी तथा एलटी लाइनों का निर्माण करने, वितरण ट्रांसफार्मरों, फीडरों तथा उपभोक्ताओं की मीटरिंग तथा फीडर पृथक्करण इत्यादि सहित उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढीकरण तथा संवर्धन को सुकर बनाया है।

ये स्कीमें, वर्तमान में, पूर्ण होने के अग्रिम चरण में हैं तथा वर्ष 2022 तक पूर्ण होने के लिए लक्षित हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1661

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

विद्युत की चोरी

1661. श्री हरीश द्विवेदी:

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को देश के ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत की चोरी के संबंध में कोई जानकारी है जिससे विद्युत क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
- (ग) देश में विद्युत की चोरी रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है और दोषियों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत वितरण यूटिलिटीयों की उच्च सकल तकनीकी तथा वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों में विद्युत की चोरी संबंधित सूचना परिलक्षित होता है। उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान देश में राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटीयों की सकल तकनीकी तथा वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियां 22.03 प्रतिशत थी।

(ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 (धारा 126 तथा धारा 135 से 140) में विद्युत की चोरी और अनाधिकृत उपयोग से संबंधित तथा विशेष न्यायालयों (विद्युत अधिनियम, 2003 के भाग XV) द्वारा ऐसे अपराधों की त्वरित सुनवाई तथा कठोर दंडात्मक प्रावधान सहित विशेष प्रावधान है। भारत सरकार ने राज्यों को दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के अंतर्गत विद्युत की चोरी तथा एटी एंड सी हानियों को कम करने के उद्देश्य से एरियल बंड केबलों तथा भूमिगत केबलों के उपयोग हेतु सहयोग प्रदान किया है। सभी डिस्कॉमों के लिए ऊर्जा लेखापरीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। इससे बिजली की चोरी को रोकने में भी मदद मिलेगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1666

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में पनबिजली क्षमता

1666. श्री शिशिर कुमार अधिकारी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के उत्तर-पूर्व क्षेत्र में 60 हजार मेगावाट पनबिजली उत्पादन की क्षमता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अब तक विद्युत उत्पादन के लक्ष्य का 2.4 प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए सरकार की कार्य-योजना क्या है; और

(घ) उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए पनबिजली और अन्य बिजली परियोजनाओं की स्थिति और नये प्रस्ताव क्या हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : जी, हाँ। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रमुख/मध्यम योजनाओं (अर्थात् 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली योजनाएं) से मूल्यांकित हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर क्षमता 62604 मेगावाट है। भारत सरकार द्वारा संस्थापित क्षमता के संदर्भ में ऐसे कोई उत्पादन लक्ष्यों को निर्धारित नहीं किया गया है, यद्यपि आज की स्थिति के अनुसार सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में मौजूदा क्षमता का 6.46% (4046 मेगावाट) का दोहन किया गया है। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में संभावित क्षमता और इसके विकास की स्थिति का राज्यवार विवरण अनुबंध-1 पर संलग्न है।

(ग) : सरकार ने देश में जलविद्युत विकास को बढ़ावा देने के लिए अतीत में राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005, जल विद्युत नीति 2008, टैरिफ नीति, 2016, राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति (2007) और पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 आदि जैसी कई नीतिगत पहलें की हैं। इसके आलावा, भारत सरकार ने मार्च, 2019

में देश में जल विद्युत को बढ़ावा देने और क्षेत्र की व्यवहार्यता में सुधार के लिए निम्नलिखित उपायों को मंजूरी दी है:

- (i) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में बड़ी जल विद्युत (एलएचपी) (>25 मेगावाट की परियोजनाएं) की घोषणा।
- (ii) गैर-सौर नवीकरण क्रय दायित्व (आरपीओ) के भीतर एक अलग इकाई के रूप में जल विद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ)।
- (iii) जल विद्युत टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ युक्तिकरण उपाय।
- (iv) बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बजटीय सहायता।
- (v) बुनियादी ढांचे अर्थात् सड़क/पुल को बनाने की लागत के लिए बजटीय सहायता।

(क) 200 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए प्रति मेगावाट 1.5 करोड़ रुपये।

(ख) 200 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं के लिए प्रति मेगावाट 1.0 करोड़ रुपये।

ये उपाय विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाओं जो दूरस्थ और दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित हैं, और परियोजना साइट के लिए भारी, बड़े आकार के उपकरण और मशीनरी के परिवहन के लिए सड़क, पुल आदि जैसे व्यापक संबद्ध बुनियादी ढांचे के लिए अपेक्षित विकास के लिए लाभकारी होंगे। इस संबंध में सरकार द्वारा 29.01.2021 को जल विद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ) ट्रेजेक्टरी पहले ही अधिसूचित की जा चुकी है।

(घ) : जलविद्युत परियोजनाएं:

वर्तमान में, पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित) में 3733 मेगावाट की कुल 8 (25 मेगावाट से अधिक) जलविद्युत परियोजनाएं (एचईपी) निर्माणाधीन हैं। इन 8 जलविद्युत परियोजनाओं में से, 3196 मेगावाट की कुल 4 परियोजनाएं में निर्माण कार्य किया जा रहा है और 537 मेगावाट की कुल 4 जलविद्युत परियोजनाओं का कार्य विभिन्न कारणों से रुका हुआ है। उपरोक्त 8 परियोजनाओं की स्थिति अनुबंध-II पर दी गई है।

ताप विद्युत परियोजनाएं:-

पूर्वोत्तर राज्य में निर्माणाधीन/प्रस्तावित थर्मल पावर परियोजना की स्थिति अनुबंध-III के अनुसार है ।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 11.02.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1666 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

**जल विद्युत के संभावित विकास की स्थिति
(संस्थापित क्षमता के संदर्भ में - 25 मेगावाट से अधिक)**

31/01/2021 की स्थिति के अनुसार

क्षेत्र/राज्य	पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार पहचान की गई क्षमता		प्रचालन में क्षमता		निर्माणाधीन क्षमता	
	कुल	25 मेगावाट से अधिक				
	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	%	(मेगावाट)	(%)
पूर्वी						
सिक्किम	4286	4248	2169	51.06	1133	26.67
उप जोड़ (सिक्किम)	4286	4248	2169	51.06	1133	26.67
पूर्वोत्तर						
मेघालय	2394	2298	322	14.01	0	0.00
त्रिपुरा	15	0	0	0.00	0	0.00
मणिपुर	1784	1761	105	5.96	0	0.00
असम	680	650	350	53.85	0	0.00
नागालैंड	1574	1452	75	5.17	0	0.00
अरुणाचल प्रदेश	50328	50064	965	1.93	2150	4.29
मिजोरम	2196	2131	60	2.82	0	0.00
उप जोड़ (एनईआर)	58971	58356	1877	3.22	2150	3.68
कुल (एनईआर + सिक्किम)	63257	62604	4046	6.46	3283	5.24
नोट: - 1. पंपड स्टोरेज परियोजनाओं को शामिल नहीं किया गया है।						
2. कुछ राज्यों में, विकसित क्षमता और शेष क्षमता कुल आकलन की गई क्षमता से अलग है। यह परियोजनाओं की क्षमता में बदलाव, परियोजनाओं को जोड़ने/हटाने और दो परियोजनाओं को एक में विलय करने आदि के कारण है।						

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 11.02.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1666 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सक्रिय निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की सूची

(31.01.2021 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	परियोजना का नाम/संस्थापित क्षमता	यूनिट सं.	राज्य/जिला क्रियान्वयन एजेंसी	नदी/बेसिन	क्षमता (मेगावाट)	कमीशन करने की संभावित तिथि
	केन्द्रीय क्षेत्र					
1	सुबनसिरी लोअर 8x250= 2000 मेगावाट	यू-1 से यू-8	अरुणाचल प्रदेश/लोअर सुबानसिरी/एनएचपीसी	सुबानसिरी/ब्रह्मपुत्र	2000	2023-24 (अगस्त'23)
2	तीस्ता- VI 4x125= 500 मेगावाट	यू-1 से यू-4	सिक्किम/दक्षिण सिक्किम/एनएचपीसी	तीस्ता/ब्रह्मपुत्र	500	2023-24 (मार्च'24)
3	कमेंग 4x150= 600 मेगावाट (3 यूनिट प्रचालनरत)	यू-4	अरुणाचल प्रदेश/पश्चिम कमेंग/नीपको	बिचोम एवं टेंगा/कमेंग/ब्रह्मपुत्र	600	2020-21 (मार्च'21)
			उप-जोड़ (केन्द्रीय):		3100	
	निजी क्षेत्र					
4	रोंगनिचु 2x48= 96 मेगावाट	यू-1 से यू-2	सिक्किम/पूर्व सिक्किम/मध्य भारत कॉरपोरेशन लिमिटेड	रोंगनिचु/तीस्ता/ब्रह्मपुत्र	96	2020-21 (मार्च'21)
			उप-जोड़ (निजी):		96	
	कुल (सी.एस.+ पी.एस)				3196	

सीआईआरएस:-केन्द्रीय भारत नदी प्रणाली; ईएफआर:-पूर्वी बहती नदियां; डब्ल्यूएफआर:-पश्चिम बहती नदियां।

जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की सूची जिनका निर्माण रुका हुआ है

क्र. सं.	परियोजना का नाम/संस्थापित क्षमता	यूनिट सं.	राज्य/जिला क्रियान्वयन एजेंसी	क्षमता (मेगावाट)	चालू करने की संभावित तिथि*	कारण/वर्तमान स्थिति
	केन्द्रीय क्षेत्र					
1	रंगित-IV 3x40= 120 मेगावाट	यू-1 से यू-3	सिक्किम/पश्चिम सिक्किम/एनएचपीसी	120	2025-26	विकासकर्ता के पास निधियों की कमी के कारण अक्टूबर, 2013 से परियोजना बंद पड़ी है। यह परियोजना दिनांक 09 अप्रैल, 2019 से एनसीएलटी प्रक्रिया के अंतर्गत है। एनएचपीसी ने दिनांक 08.07.2019 को ईओआई प्रस्तुत किया है और दिनांक 23.08.2019 को प्रत्याशित संकल्प आवेदकों की अंतिम सूची के अंतर्गत शॉर्ट लिस्ट किया गया। एनएचपीसी द्वारा दिनांक 04.12.2019 को समाधान योजना प्रस्तुत किया

						गया। समाधान योजना स्वीकृति आवेदन दिनांक 17.02.2020 को एनसीएलटी, हैदराबाद ("अधिकरण") में सुनवाई हेतु अभिचन्हित किया गया था। इसकी अंतिम सुनवाई दिनांक 31.07.2020 को हुई। यह परियोजना एनएचपीसी को सौंपी गई है।
	उप-जोड़ (केन्द्रीय)			120		
	निजी क्षेत्र					
2	पनान 4x75= 300 मेगावाट	यू-1 से यू-4	सिक्किम/उत्तर सिक्किम/हिमगिरि हाइड्रो प्रा. लि.	300	2025-26	स्थल तक पहुंच के लिए मंथम झील में पुल के निर्माण का मुद्दा सिक्किम राज्य सरकार के साथ चर्चा में है।
3	रंगित-II 2x33= 66 मेगावाट	यू-1 से यू-2	सिक्किम/पश्चिम सिक्किम/सिक्किम हाइड्रो पावर लि.	66	2024-25	विकासकर्ता के पास निधियों की कमी के कारण दिसंबर, 2017 से काम बंद पड़ा है। दिनांक 30.07.2020 से परियोजना एनसीएलटी में है।
4	भास्मे 2x25.5= 51 मेगावाट	यू-1 से यू-2	सिक्किम/पूर्व सिक्किम/गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर	51	2024-25	विकासकर्ता के पास निधियों की कमी के कारण सितम्बर, 2016 से काम बंद पड़ा है।
	उप-जोड़ (निजी)			417		
	कुल			537		
* कार्य पुनः होने के अधीन।						

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 11.02.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1666 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पूर्वोत्तर राज्य में निर्माणाधीन/प्रस्तावित थर्मल पावर परियोजना की स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम	संगठन का नाम	क्षमता	स्थिति
1	2x800 मेगावाट मरघेरिता थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला तिनसुकिया, असम	असम विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	1600 मेगावाट	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है और 661 एकड़ भूमि एपीजीसीएल द्वारा अधिगृहित की गई है तथा 100 एकड़ भूमि अधिगृहित करनी शेष है। कोयला लिंकेज प्रदान किया जाना बाकी है।
2	500 मेगावाट गारो हिल्स थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला गारो हिल्स, मेघालय	उत्तर पूर्व इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	500 मेगावाट	दीर्घावधिक कोयला लिंकेज स्थापित नहीं किया जा सका जिसके कारण इस परियोजना के संबंध में कोई उन्नति नहीं हुई।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1683

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

प्रत्येक घर के विद्युतीकरण का लक्ष्य

1683. श्री देवेन्द्र सिंह भोले:

श्री बी.बी. पाटील:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में प्रत्येक घर के विद्युतीकरण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) इस संबंध में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;
- (ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि व्यय की गई है;
- (घ) देश में अब तक राज्य-वार कितने घरों का विद्युतीकरण किया गया है और कितने घरों में विद्युतीकरण नहीं किया गया है; और
- (ङ) सरकार द्वारा उक्त कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : भारत सरकार ने देश में अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों को तथा शहरी क्षेत्रों में सभी निर्धन घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान कर घरों का सार्वभौमिक विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से 12,320 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) सहित 16,320 करोड़ रुपये के परिव्यय से अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - "सौभाग्य" शुरू की थी।

सभी राज्यों ने सौभाग्य पोर्टल पर घोषणा की थी कि दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ के एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों के 18,734 घरों को छोड़कर सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घर विद्युतीकृत

कर दिए गए थे। तदोपरान्त, 7 राज्यों नामतः असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने सूचित किया था कि 31.03.2019 से पहले अभिचिन्हित 19.09 लाख गैर-विद्युतीकृत घरों में जो पहले अनिच्छुक थे, अब उन्होंने विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए इच्छा व्यक्त की थी। राज्यों से सौभाग्य के अंतर्गत इन घरों का भी विद्युतीकरण करने के लिए कहा गया था। इनमें से, 31.12.2020 तक 18.57 लाख घरों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के एलडब्ल्यूई क्षेत्रों के शेष घरों का 31 मार्च, 2021 तक विद्युतीकरण किए जाने के लिए समय विस्तार दिया गया है। देशभर में सौभाग्य स्कीम के शुभारंभ से, दिनांक 31.03.2020 तक 2.81 करोड़ घर विद्युतीकृत किए गए थे। ऐसे विद्युतीकृत घरों की राज्य-वार सूची **अनुबंध-I** पर संलग्न है।

सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत किसी भी राज्य/जिले को अग्रिम आबंटन नहीं किया गया है। स्वीकृत परियोजनाओं को पिछली किश्त (किश्तों) में जारी धनराशियों के उपयोग की सूचना देने और निर्धारित शर्तों की पूर्ति के आधार पर किश्तों में निधियाँ जारी की जाती हैं। तदनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत, 4,946 करोड़ रुपये, अनुदान के रूप में, संवितरित किए गए हैं। सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार संवितरित अनुदान का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

सौभाग्य स्कीम के तहत सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर समयबद्ध तरीके से पूरे किए गए हैं।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 11.02.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1683 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सौभाग्य - वास्तविक प्रगति राज्य-वार

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	घरों का विद्युतीकरण (संख्या)			
		11.10.2017 से 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	01.04.2019 से 31.12.2020 तक प्रगति	11.10.2017 से 31.12.2020 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	31.12.2020 तक शेष गैर-विद्युतीकृत घर
1	आंध्र प्रदेश	1,81,930		1,81,930	
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089		47,089	
3	असम	17,45,149	2,00,000	19,45,149	
4	बिहार	32,59,041		32,59,041	
5	छत्तीसगढ़	7,49,397	38,005	7,87,402	2,389
6	गुजरात	41,317		41,317	
7	हरियाणा	54,681		54,681	
8	हिमाचल प्रदेश	12,891		12,891	
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,87,501		3,87,501	
10	झारखंड	15,30,708	1,74,571	17,05,279	25,429
11	कर्नाटक	3,56,974	26,824	3,83,798	
12	केरल	3.19 लाख घरों का पुनः-विद्युतीकरण (जो बाढ़ में गैर-विद्युतीकृत हो गए थे)			
13	लद्दाख				
14	मध्य प्रदेश	19,84,264		19,84,264	
15	महाराष्ट्र	15,17,922		15,17,922	
16	मणिपुर	1,02,748	5,367	1,08,115	
17	मेघालय	1,99,839		1,99,839	
18	मिजोरम	27,970		27,970	
19	नागालैंड	1,32,507		1,32,507	
20	ओडिशा	24,52,444		24,52,444	
21	पुदुचेरी	912		912	
22	पंजाब	3,477		3,477	
23	राजस्थान	18,62,736	2,12,786	20,75,522	
24	सिक्किम	14,900		14,900	
25	तमिलनाडु	2,170		2,170	
26	तेलंगाना	5,15,084		5,15,084	
27	त्रिपुरा	1,39,090		1,39,090	
28	उत्तर प्रदेश	79,80,568	12,00,003	91,80,571	
29	उत्तराखंड	2,48,751		2,48,751	
30	पश्चिम बंगाल	7,32,290		7,32,290	
	कुल	2,62,84,350	18,57,556	2,81,41,906	27,818

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 11.02.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1683 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2017-18 से 2019-20 तक सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार संवितरित अनुदान

करोड़ रुपये में

क्रम सं.	राज्यों के नाम	2017-18	2018-19	2019-20	कुल
1	अरुणाचल प्रदेश	-	139	14	153
2	असम	42	403	121	566
3	बिहार	115	199	136	450
4	छत्तीसगढ़	43	219	32	294
5	हरियाणा	-	-	3	3
6	हिमाचल प्रदेश	-	1	3	4
7	जम्मू और कश्मीर	2	51	-	53
8	झारखंड	70	83	4	157
9	कर्नाटक	-	-	39	39
10	केरल	15	-	26	41
11	मध्य प्रदेश	260	147	-	407
12	महाराष्ट्र	15	140	43	198
13	मणिपुर	6	35	33	74
14	मेघालय	-	98	88	186
15	मिजोरम	-	35	-	35
16	नागालैंड	5	34	-	39
17	ओडिशा	76	168	-	245
18	राजस्थान	-	103	76	179
19	सिक्किम	-	-	1	1
20	तेलंगाना	-	-	15	15
21	त्रिपुरा	-	237	8	245
22	उत्तर प्रदेश	864	523	26	1,412
23	उत्तराखंड	13	22	7	43
24	पश्चिम बंगाल	14	73	20	107
	कुल	1,541	2,709	696	4,946

टिप्पणी: सौभाग्य स्कीम अक्टूबर, 2017 में शुरू की गई थी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1693

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

विद्युत वाहन चार्जिंग अवसंरचना

1693. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का पूरे देश में विद्युत वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विद्युत वाहन चार्जिंग अवसंरचना के सृजन और इसमें वृद्धि करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध जारी दिशा-निर्देश क्या है;
- (ख) इन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों/राजसहायता/वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;
- (ग) आंध्र प्रदेश में स्थापित चार्जिंग स्टेशनों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए किसी अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले विद्युत वाहन चार्जिंग केंद्रों का ब्यौरा क्या है और इसके लिए निर्धारित/नियत समय-सीमा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : जी हां। भारत सरकार द्वारा देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना का निर्माण करने और बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए हैं:

- i. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करने हेतु कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है: विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 13.04.2018 को स्पष्टीकरण जारी किया है कि विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के संदर्भ में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना हेतु लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
- ii. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना - संशोधित दिशा-निर्देश और मानक : विद्युत मंत्रालय ने, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों/एजेंसियों तथा हिताधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करने के पश्चात, दिनांक 14.12.2018 को 'विद्युत वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना - दिशा-निर्देश और मानक' जारी किए, जिनमें दिनांक 01.10.2019 को संशोधन किया गया था तथा इसके बाद, दिनांक 08.06.2020 को इससे संबंधित एक संशोधन जारी किया गया था।
- iii. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों हेतु सुरक्षा विनियम तथा ग्रिड कनेक्टिविटी : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने चार्जिंग स्टेशनों के सुगमीकरण के संदर्भ में सीईए के निम्नलिखित विनियमों में संशोधन जारी किए गए हैं:

- क. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरित उत्पादन संसाधनों के लिए कनेक्टिविटी हेतु तकनीकी मानक) संशोधन विनियम, 2019
- ख. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) संशोधन विनियम, 2019
- iv. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना को सुगम बनाने हेतु भवन उप नियमों तथा शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निरूपण से संबंधित निम्नलिखित संशोधन जारी किए हैं:
- क. इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना हेतु मॉडल भवन उप नियमों (एमबीबीएल - 2016) में संशोधन।
- ख. इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना हेतु शहरी तथा क्षेत्रीय विकास योजनाओं का निरूपण तथा कार्यान्वयन दिशा-निर्देशों (यूआरडीपीएफआई - 2014) में संशोधन।
- v. विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीजीसीआईएल) और एनटीपीसी लिमिटेड, देश में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (पीसीएस) की संस्थापना में लगे हुए हैं। अब तक, पूरे भारत में एनटीपीसी द्वारा 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन, ईईएसएल द्वारा 130 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन तथा पीजीसीआईएल द्वारा 14 चार्जिंग स्टेशन संस्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, देश भर में विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र - तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा 144 चार्जिंग स्टेशन संस्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) भारत सरकार ने फेम इंडिया (भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण) स्कीम फेज-II के अंतर्गत पैन इंडिया आधार पर 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 68 शहरों में 2877 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवीज) चार्जिंग स्टेशनों को भी स्वीकृति दी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार संपूर्ण भारत में विभिन्न संस्थाओं द्वारा 935 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन संस्थापित किए गए हैं।

(ख) : भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से भारत में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवीज) के अंगीकरण को बढ़ावा देने हेतु भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम को लागू कर रहा है। फेम इंडिया स्कीम के फेज-I के अंतर्गत, भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) द्वारा विभिन्न शहरों और राजमार्गों में 43 करोड़ (लगभग) लागत वाले 520 चार्जिंग स्टेशनों को स्वीकृति दी है। दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से तीन वर्षों की अवधि के लिए फेम इंडिया स्कीम के चरण-II के अंतर्गत चार्जिंग अवसंरचना की संस्थापना हेतु 1000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। अब तक फेम-II के अंतर्गत कुल 2877 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

(ग) : आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, अब तक आंध्र प्रदेश के विभिन्न स्थानों में कुल 102 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

(घ) : विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 13.04.2018 को यह स्पष्टीकरण जारी किया है कि चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) : स्कीम के प्रचालन के दौरान फेम II स्कीम दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश राज्य के शहरों नामतः विजयवाड़ा-92, विशाखापट्टनम-71, तिरुपती-68, काकिनाड़ा-35 में कुल 266 ईवी चार्जिंग स्टेशन आवंटित किए गए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1697

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

1697. श्री प्रताप सिन्हा:

श्री सुमोधानन्द सरस्वती:

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे:

श्री एस.सी. उदासी:

श्री भगवंत खुबा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत कई महीनों से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके कारण क्या हैं; और

(ग) आयोग के पास लंबित हजारों आवेदनों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : अवमानना याचिका संख्या 2020 की 429 (के.के. अग्रवाल बनाम संजीव नंदन सहाय एवं एएनआर) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 28.08.2020 के आदेश के अनुपालन में, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के दो सदस्य अवकाश पर चले गए। उनकी अवकाश की अवधि के दौरान किसी भी न्यायनिर्णयन मामले की सुनवाई नहीं हुई और न ही विनियम निरूपित/संशोधित किए गए।

केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 16.12.2020 को सदस्य (कानून) की नियुक्ति की गई है। सीईआरसी में सदस्य (कानून) की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के विचार से, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 20.01.2021 के आदेश द्वारा सीईआरसी के अन्य सदस्यों को कार्यभार ग्रहण करने और प्रशासनिक प्रकार्यों का निर्वहन करने की अनुमति दी है लेकिन न्यायिक कार्य सदस्य (कानून) के कार्यभार ग्रहण करने पर ही पुनः शुरू होंगे। इस आदेश के द्वारा अवमानना से बरी कर दिया गया। केंद्रीय आयोग ने दिनांक 20.01.2021 के उक्त आदेश का अनुपालन किया है और इस प्रकार प्रशासनिक कार्य 21.01.2021 से पुनः शुरू हो गए हैं।

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने झारखंड सरकार से सीईआरसी में सदस्य (कानून) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए संबंधित सदस्य (विधायी), झारखंड विद्युत विनियामक आयोग को कार्यमुक्त करने के लिए अनुरोध भी किया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1709

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

जीवाश्म ईंधन से गैर-जीवाश्म ईंधन की ओर ध्यान

1709. श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का विचार जीवाश्म ईंधन से गैर-जीवाश्म ईंधन तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर ध्यान देने का है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान में देश में जीवाश्म ईंधन तथा गैर-जीवाश्म ईंधन के हिस्से का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने वर्ष 2022 तक देश में गैर-जीवाश्म ईंधन के हिस्से में वृद्धि के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
- (ङ) क्या ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) देश में ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बीईई की स्थापना के बाद अभी तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : जी, हाँ। वर्तमान में संस्थापित उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधनों का हिस्सा लगभग 38.3 प्रतिशत है। सभी स्रोतों से संस्थापित उत्पादन क्षमता का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ) : भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 के अंत तक, नवीकरणीय स्रोतों से 1,75,000 मेगावाट संस्थापित क्षमता का लक्ष्य रखा है जिसमें सौर ऊर्जा से 1,00,000 मेगावाट, पवन ऊर्जा से 60,000 मेगावाट, बायोमास से 10,000 मेगावाट और लघु जल विद्युत से 5,000 मेगावाट शामिल है। इसके साथ-साथ, 10,164.50 मेगावाट जल

विद्युत उत्पादन और 4,800 मेगावाट न्यूक्लियर विद्युत उत्पादन क्षमता वर्ष 2024-25 तक चालू किए जाने के लिए नियत है।

(ड) और (च) : जी, हाँ। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) देश में ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने में सफल रहा है।

भारत की ऊर्जा गहनता वित्तीय वर्ष 2012-13 में 65.6 मिलियन टन तेल समतुल्य (एमटीओई) प्रति करोड़ रुपये से घटकर वित्तीय वर्ष 2018-19 में 54.5 एमटीओई प्रति करोड़ रुपये हो गई है। ऊर्जा गहनता में कमी का एक प्रमुख कारण देश में विभिन्न ऊर्जा दक्षता नीतियों का क्रियान्वयन है।

वर्ष 2018-19 में किए गए तृतीय पक्षीय मूल्यांकन के अनुसार, यह अनुमान है कि विभिन्न ऊर्जा दक्षता स्कीमों/कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन से देश में निम्नलिखित उपलब्धियां हुई हैं:

- (i) लगभग 89,122 करोड़ रुपये की कुल लागत बचत जिसमें 67,039 करोड़ रुपये मूल्य की 136.37 बिलियन यूनिट विद्युत ऊर्जा की बचत और 22,083 करोड़ रुपये मूल्य की 12.00 एमटीओई की ताप ऊर्जा बचत शामिल हैं।
- (ii) देश की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति का 2.69 प्रतिशत अर्थात 23.73 एमटीओई की कुल ऊर्जा बचत।
- (iii) कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन में समान वार्षिक कमी लगभग 151.74 मिलियन टन है।

लोक सभा में दिनांक 11.02.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1709 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन की संस्थापित उत्पादन क्षमता का हिस्सा
(31.12.2020 की स्थिति के अनुसार)

श्रेणी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	कुल संस्थापित क्षमता में हिस्सा (%)
कोयला	1,99,865	53.3
लिग्नाइट	6,260	1.7
गैस	24,957	6.6
डीजल	510	0.1
कुल (जीवाश्म ईंधन)	2,31,591	61.7
न्यूक्लियर	6,780	1.8
जल विद्युत	45,798	12.2
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत	91,154	24.3
कुल (गैर-जीवाश्म ईंधन)	1,43,732	38.3
कुल संस्थापित क्षमता	3,75,323	100.0

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1718

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों का बंद होना

1718. डॉ. शशि थरूर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 1 फरवरी, 2020 विद्युत को वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसार बंद करने के लिए चिह्नित पुराने प्रदूषणकारी कोयला आधारित संयंत्रों का ब्यौरा और उनके बंद किए जाने की तिथियां क्या हैं;
- (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान किए गए कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की अवस्थिति और डेवलपर की सूचना का ब्यौरा क्या है;
- (ग) पर्यावरणीय मुद्दों के कारण विगत तीन वर्षों के दौरान बंद किए गए कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) दिनांक 7 दिसंबर, 2015 की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के अंतर्गत प्रदूषण कम करने के लिए समय-सीमा के गैर-अनुपालन हेतु दंडित या बंद किए गए विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) उक्त अधिसूचना के अनुसार फ्लू-गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) को स्थापित करने में अनुपालन नहीं करने वाले विद्युत संयंत्रों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;
- (च) गैर-अनुपालन के बावजूद दंडात्मक कार्रवाई से छूट प्राप्त विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (छ) प्रारंभिक चरणों पर गैर-कार्रवाई से बचने के लिए समय-सीमा की समाप्ति या अंतिम एफजीडी स्थापना से पूर्व अंतरिम महत्वपूर्ण पड़ावों को तय कर विद्युत संयंत्रों द्वारा गैर-अनुपालन की पहचान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : विद्युत संयंत्र की स्थापना करना एक लाइसेंस विहीन गतिविधि है। यूटिलिटियां तकनीकी वाणिज्यिक मूल्यांकन, पर्यावरण मानकों की गैर-अनुपालना आदि के आधार पर अपनी यूनिटों को बंद/शटडाउन करने का स्वयं निर्णय लेती हैं। दिनांक 01.02.2020 (वित्त मंत्री के बजट अभिभाषण की तारीख) से 31.01.2021 तक 1640.00 मेगावाट क्षमता की 19 कोयला/लिग्नाइट आधारित यूनिटें (ब्यौरा अनुबंध-1 पर) बंद/शटडाउन कर दी गई हैं।

(ख) : कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के स्थान एवं विकासकर्ता के साथ उनकी सूची, जिन्हें विगत तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा पर्यावरण मंजूरी दी गई थी, **अनुबंध-II** पर दी गई है।

(ग) : पिछले तीन वर्षों (जनवरी, 2018 से जनवरी, 2021) के दौरान 5454 मेगावाट क्षमता की 51 कोयला/ लिग्नाइट यूनिटें बंद कर दी गई हैं। सूची **अनुबंध-III** पर दी गई है।

(घ) से (च) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने दो वर्षों के भीतर अनुपालन किए जाने के लिए 07 दिसंबर, 2015 को कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के लिए नए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए। तथापि, टेक्नो-आर्थिक व्यवहार्यता के मद्देनजर और देश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की स्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की स्थापना/उन्नयन हेतु चरणबद्ध/ वार्षिक क्रियान्वयन योजना (वर्ष 2022 तक क्रियान्वित की जानी है) एमओईएफएंडसीसी को दिनांक 13.10.2017 को प्रस्तुत की गई। तदनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत 9 टीपीपीज़ को दिसंबर, 2019 तक की समय-सीमा को कम करते हुए चरणबद्ध तरीके से उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने हेतु अन्य ताप विद्युत संयंत्रों को दिशा-निर्देश जारी किए।

नए उत्सर्जन मानकों के क्रियान्वयन की अनुसूची के अनुसार, 15 संयंत्रों की 35 यूनिटें (ब्यौरा **अनुबंध-IV** पर) अनुपालना करने में असफल रहीं। सीपीसीबी ने वर्ष 2020 में इन संयंत्रों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत 18 लाख रुपये प्रति माह प्रति गैर-अनुपालन यूनिट की दर से पर्यावरण हर्जाना (ईसी) लगाते हुए दिशा-निर्देश जारी किए। सभी संयंत्र रिट याचिका (सी) 13029/1985 में आईए दायर करते हुए दिनांक 08.05.2020 को सीपीसीबी के निर्देशों के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय गए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 14 संयंत्रों के मामले में ईसी की वसूली पर स्थगन दे दिया, जबकि, एक संयंत्र हिंदुजा थर्मल पावर स्टेशन, बाईजैंग का मामला दिनांक 02.02.2021 को स्वीकार कर लिया गया/सुनवाई की गई। इसलिए, मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है। इसके अतिरिक्त, सीपीसीबी ने दिनांक 16.10.2020 के द्वारा, तदोपरांत 9 टीपीपी, जिनकी समय-सीमा पहले कम कर दी गई थी, को विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 13.10.2017 को एमओईएफएंडसीसी को प्रस्तुत योजना के अनुसार, संशोधित कर दिया गया है।

(छ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और सीपीसीबी नए उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के लिए टीपीपीज़ द्वारा की गई लक्ष्य-वार प्रगति की स्थिति की आवधिक समीक्षा करते हैं।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 11.02.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1718 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

01.02.2020 से 31.01.2021 तक बंद की गई कोयला/लिग्नाइट आधारित यूनिटों की सूची

क्रम सं.	स्टेशन/संयंत्र का नाम	राज्य	ईंधन	यूनिटों की संख्या	यूनिट संख्या	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	बंद किए गए (मेगावाट)	को बंद किया गया
1	कोठागुडेम टीपीएस	तेलंगाना	कोयला	1	2	60(1*60)	60.00	03.03.2020
2	चन्द्रपुरा (डीवीसी) टीपीएस	झारखंड	कोयला	1	3	130(1*130)	130.00	19.03.2020
3	कोठागुडेम टीपीएस	तेलंगाना	कोयला	1	5	120(1*120)	120.00	30.03.2020
4	कोठागुडेम टीपीएस	तेलंगाना	कोयला	3	1,4,7	240(2*60+1*120)	240.00	31.03.2020
5	नेयवेली टीपीएस-1	तमिलनाडु	लिग्नाइट	2	1,9	150 (1*50+1*100)	150.00	31.03.2020
6	पानीपत टीपीएस	हरियाणा	कोयला	1	5	210 (1*210)	210.00	31.03.2020
7	नेयवेली टीपीएस-1	तमिलनाडु	लिग्नाइट	3	2,4,8	200 (2*50+1*100)	200.00	08.07.2020
8	नेयवेली टीपीएस-1	तमिलनाडु	लिग्नाइट	1	3	50 (1*50)	50.00	30.07.2020
9	नेयवेली टीपीएस-1	तमिलनाडु	लिग्नाइट	1	5	50 (1*50)	50.00	28.09.2020
10	नेयवेली टीपीएस-1	तमिलनाडु	लिग्नाइट	1	6	50 (1*50)	50.00	30.09.2020
11	कोरबा-III	छत्तीसगढ़	कोयला	2	1,2	240 (2*120)	240.00	01.01.2021
12	कच्छ लिग्नाइट टीपीएस	गुजरात	लिग्नाइट	2	1,2	140 (2*70)	140.00	22.01.2021
	कुल			19			1640.00	

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 11.02.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1718 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

गत तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी गई पर्यावरण मंजूरी

क्रम सं.	वर्ष	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला	परियोजना के प्रस्तावक का नाम	परियोजना का संक्षिप्त विवरण	ईसी जारी करने की तारीख
1	2018	ओडिशा	अंगुल	एनटीपीसी लिमिटेड	तलचेर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण-III (2x660 मेगावाट)	12-सितंबर-18
2		तमिलनाडु	कूडल्लूर	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	थर्मल पावर स्टेशन II (दूसरा विस्तार) (2*660 मेगावाट)	29-अक्टूबर-18
3		तेलंगाना	नालगोंडा	एमजी पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	एमजी पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (200 मेगावाट)	24-अप्रैल-18
4	2019	ओडिशा	ठैकनाल	ओडिशा थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3x800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट	10-दिसंबर-19
5		राजस्थान	कोटा	डीसीएम श्रीराम लिमिटेड	श्रीराम नगर औद्योगिक क्षेत्र, कोटा, राजस्थान की विद्यमान सुविधा पर विद्युत संयंत्र के 125.3 मेगावाट से 141 मेगावाट तक विस्तार एवं आधुनिकीकरण	3-जनवरी-19
6		तमिलनाडु	तिरुवल्लूर	टेनजेडको	1x600 मेगावाट एन्नोर टीपीएस	11-दिसंबर-19
7		तेलंगाना	खम्मम	द सिंगरैनी कोलीरीज कंपनी लिमिटेड	800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल कोयला आधारित सिंगरैनी थर्मल पावर प्लांट का विस्तार	18-दिसंबर-19
8	2020	गुजरात	तापी	गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएसईसीएल)	1x800 मेगावाट कोयला आधारित सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट	13-अक्टूबर-20
9		कर्नाटक	बेलागावी	रोक्यूटे रिद्धि सिद्धि प्राइवेट लिमिटेड	सह-उत्पादन पावर प्लांट का 6 मेगावाट से 18 मेगावाट तक विस्तार	24-फरवरी-20
10		उत्तर प्रदेश	सोनभद्र	एनटीपीसी लिमिटेड	सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, चरण-III (2x800 मेगावाट)	13-जुलाई-20
11		पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	द वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1x660 मेगावाट कोयला आधारित सुपरक्रिटिकल सागरदीघी थर्मल पावर फेज-III का विस्तार	24-मार्च-20
12	2021	ओडिशा	झारसुगुड़ा	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	एनएलसी - तालबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट (3x800 मेगावाट)	2-फरवरी-21

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 11.02.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1718 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों के दौरान (जनवरी, 2018 से जनवरी, 2021) बंद की गई कोयला/लिग्नाइट आधारित यूनिटों की सूची

क्रम सं.	स्टेशन/संयंत्र का नाम	राज्य	ईंधन	यूनिटों की संख्या	यूनिट संख्या	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	बंद किए गए (मेगावाट)	को बंद किया गया
1	पनकी टीपीएस	उत्तर प्रदेश	कोयला	2	3,4	210 (2*105)	210.00	16.03.2018
2	ओबरा टीपीएस	उत्तर प्रदेश	कोयला	1	8	94 (1*94)	94.00	03.04.2018
3	बंदेल टीपीएस	पश्चिम बंगाल	कोयला	2	3,4	120 (2*60)	120.00	20.04.2018
4	भटिंडा टीपीएस	पंजाब	कोयला	4	1,2,3,4	440(4*110)	440.00	31.08.2018
5	रोपड़ टीपीएस	पंजाब	कोयला	2	1,2	420(2*210)	420.00	31.08.2018
6	बदरपुर टीपीएस	दिल्ली	कोयला	5	1,2,3,4,5	705 (3*95+2*210)	705.00	30.10.2018
7	नेयवेली टीपीएस-I	तमिलनाडु	लिग्नाइट	1	7	100 (1*100)	100.00	06.02.2019
8	कोठागुडेम टीपीएस	तेलंगाना	कोयला	3	3,6,8	300(1*60+2*120)	300.00	19.03.2019
9	कोरबा-II	छत्तीसगढ़	कोयला	4	1,2,3,4	200(4*50)	200.00	13.08.2019
10	ट्रॉम्बे टीपीएस	महाराष्ट्र	कोयला	1	6	500(1*500)	500.00	12.09.2019
11	साबरमती (सी स्टेशन)	गुजरात	कोयला	2	15,16	60(2*30)	60.00	13.09.2019
12	राजघाट टीपीएस	दिल्ली	कोयला	2	1,2	135(2*67.5)	135.00	23.09.2019
13	परली टीपीएस	महाराष्ट्र	कोयला	2	4,5	420(2*210)	420.00	23.01.2020
14	डी.पी.एल. टीपीएस	पश्चिम बंगाल	कोयला	1	6	110(1*110)	110.00	28.01.2020
15	कोठागुडेम टीपीएस	तेलंगाना	कोयला	1	2	60(1*60)	60.00	03.03.2020
16	चन्द्रपुरा (डीवीसी) टीपीएस	झारखंड	कोयला	1	3	130(1*130)	130.00	19.03.2020
17	कोठागुडेम टीपीएस	तेलंगाना	कोयला	1	5	120(1*120)	120.00	30.03.2020
18	कोठागुडेम टीपीएस	तेलंगाना	कोयला	3	1,4,7	240(2*60+1*120)	240.00	31.03.2020
19	नेयवेली टीपीएस-I	तमिलनाडु	लिग्नाइट	2	1,9	150 (1*50+1*100)	150.00	31.03.2020
20	पानीपत टीपीएस	हरियाणा	कोयला	1	5	210 (1*210)	210.00	31.03.2020
21	नेयवेली टीपीएस-I	तमिलनाडु	लिग्नाइट	3	2,4,8	200 (2*50+1*100)	200.00	08.07.2020
22	नेयवेली टीपीएस-I	तमिलनाडु	लिग्नाइट	1	3	50 (1*50)	50.00	30.07.2020
23	नेयवेली टीपीएस-I	तमिलनाडु	लिग्नाइट	1	5	50 (1*50)	50.00	28.09.2020
24	नेयवेली टीपीएस-I	तमिलनाडु	लिग्नाइट	1	6	50 (1*50)	50.00	30.09.2020
25	कोरबा-III	छत्तीसगढ़	कोयला	2	1,2	240 (2*120)	240.00	01.01.2021
26	कच्छ लिग्नाइट टीपीएस	गुजरात	लिग्नाइट	2	1,2	140 (2*70)	140.00	22.01.2021
	कुल			51			5454	

लोक सभा में दिनांक 11.02.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1718 के भाग (घ) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

नए उत्सर्जन मानकों का अनुपालन न करने वाले सीपीसीबी द्वारा दंडित टीपीपी की सूची

क्रम सं.	ताप विद्युत संयंत्र	क्षेत्र	राज्य	यूनिट संख्या	यूनिट संख्या (क्षमता मेगावाट में)
1.	वाइजैग हिन्दुजा टीपीपी, एचएनपीसीएल, विशाखापट्टनम	निजी	आंध्र प्रदेश	2	2 (520)
2.	श्री दामोदरम संजीवैया टीपीपी, एपीपीडीसीएल, एसपीएसआर नेल्लोर	राज्य	आंध्र प्रदेश	2	2 (800)
3.	सिंगरैनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, एससीसीएल, आदिलाबाद	राज्य	तेलंगाना	1,2	1 (600) 2 (600)
4.	कोठागुडेम (नया) थर्मल पावर स्टेशन, टीएसजीईएनसीओ, खम्मम	राज्य	तेलंगाना	1	1 (500)
5.	नॉर्थ चैन्नई थर्मल पावर स्टेशन-II, टेनजेडको, चैन्नई,	राज्य	तमिलनाडु	1	1 (600)
6.	पानीपत थर्मल पावर स्टेशन - हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन	राज्य	हरियाणा	6, 7, 8	6 (210) 7 (250) 8 (250)
7.	राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन -हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन	राज्य	हरियाणा	1, 2	1 (600) 2 (600)
8.	यमुना नगर थर्मल पावर स्टेशन - हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन	राज्य	हरियाणा	1, 2	1 (300) 2 (300)
9.	इंदिरा गांधी एसटीपीपी, हरियाणा - एनटीपीसी	केंद्रीय	हरियाणा	1, 2, 3	1 (500) 2 (500) 3 (500)
10.	नाभा टीपीपी, राजपुरा - एल एंड टी पावर डेवलपमेंट लिमिटेड	निजी	पंजाब	1, 2	1 (700) 2 (700)
11.	गुरु हरगोबिन्द, लेहरा मोहब्बत - पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	राज्य	पंजाब	1, 2, 3, 4	1 (210) 2 (210) 3 (250) 4 (250)
12.	तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, पंजाब	निजी	पंजाब	1, 2, 3	1 (660) 2 (660) 3 (660)
13.	दादरी थर्मल पावर प्लांट - एनटीपीसी	केंद्रीय	उत्तर प्रदेश	3, 4, 5, 6	1 (210) 2 (210) 3 (490) 4 (490)
14.	हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम	राज्य	उत्तर प्रदेश	8, 9	8 (250) 9 (250)
15.	रोपड़ थर्मल पावर स्टेशन - पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	राज्य	पंजाब	3, 4, 5, 6	3 (210) 4 (210) 5 (210) 6 (210)
					14670

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1719

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 का कार्यान्वयन

1719. श्री एंटो एन्टोनी:

श्री प्रद्युत बोरदोलाई:

श्री उत्तम कुमार रेड्डी:

श्री मोहम्मद फैजल पी.पी.:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का किसानों पर पड़े अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कम करने के लिए किसानों को कोई सहायता प्रदान करने का विचार है जो कि विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने विद्युत की लागत और सिंचाई की लागत कि दृष्टि से कृषि क्षेत्र पर इस विधेयक के वित्तीय निहितार्थों का हिसाब लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : संसद में कोई विद्युत संशोधन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1725

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

ग्रिडों के एकीकरण का जारी कार्य

1725. श्री पी.पी. चौधरी:

श्री कौशल किशोर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वन नेशन - वन ग्रिड - वन फ्रीक्वेन्सी नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वन नेशन - वन ग्रिड - वन फ्रीक्वेन्सी से विद्युत क्षेत्र और उपभोक्ताओं को मदद मिलती है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चल रहे ग्रिड एकीकरण की अद्यतन स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005 में परिकल्पना है कि पारेषण प्रणाली को देश के लिए मजबूत तथा एकीकृत विद्युत प्रणाली विकसित करने के लिए समन्वित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उत्पादन में योजित व्यापक वृद्धि तथा विद्युत बाजार हेतु विकास विकास को ध्यान में रखते हुए, इस नीति में जोर दिया गया है कि केन्द्र सरकार विद्युत के अंतर-राज्यीय पारेषण हेतु पर्याप्त अवसंरचना प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रिड के सतत् विकास की सुविधा प्रदान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि विद्युत बहुत क्षेत्रों से अभाव वाले क्षेत्रों तक इसके पारेषण के लिए कम उपयोग की गई उत्पादन क्षमता से विद्युत उत्पन्न करने की सुविधा प्रदान की जाए।

इसके लिए, असमान रूप से वितरित संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ-साथ देशभर में विद्युत बहुल क्षेत्रों से अभाव वाले क्षेत्रों तक विद्युत अंतरण को सुगम बनाने हेतु सतत् आधार पर राष्ट्रीय ग्रिड का विकास किया गया था। इस प्रक्रिया में, पांच क्षेत्रीय ग्रिडों को नामतः पूर्वी क्षेत्र (ईआर), पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर), पश्चिमी क्षेत्र

(डब्ल्यूआर), उत्तरी क्षेत्र (एनआर) और दक्षिणी क्षेत्र (एसआर) को उच्च क्षमतायुक्त उच्च वोल्टतायुक्त डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी), के 765 केवी/400 केवी अंतर क्षेत्रीय लिंकों के माध्यम से प्रगतिशील तरीके से एकीकृत किए गए थे। क्षेत्रीय ग्रिडों की एकीकरण के परिणामस्वरूप एक राष्ट्र-एकग्रिड-एक फ्रीक्वेंसी का गठन हुआ।

(ख) : जी हां, एक राष्ट्र-एक ग्रिड-एक फ्रीक्वेंसी ने विद्युत क्षेत्र और उपभोक्ताओं की काफी हद तक मदद की है। इसने विश्वसनीयता, सुरक्षा और मितव्ययता सहित प्रमुख भार केन्द्रों को संसाधन समृद्ध क्षेत्रों से विद्युत अंतरण को सुगम बनाया है। इसके अतिरिक्त, इसने उपभोक्ता को विद्युत की कीमत में महत्वपूर्ण कमी के साथ कम लागत वाले विद्युत तथा जीवंत विद्युत बाजार के विकास तक पहुंच को सुगम बनाया है। उपरोक्त के साथ-साथ, यह ग्रिड में बड़े पैमाने पर परिवर्तनीय नवीकरणीय उत्पादन क्षमता के एकीकरण की सुविधा भी प्रदान कर रहा है।

(ग) : वर्तमान संचयी अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता लगभग 1,03,550 मेगावाट है।

(घ) : विश्वसनीयता और सुरक्षा के साथ संवर्धित मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रिड का सुदृढीकरण/संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। इस दिशा में, अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा है। अगले 2-3 वर्षों में इसकी संचयी अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता 1,18,740 मेगावाट तक बढ़ाई जाएगी। कार्यान्वयनाधीन लगभग 15,000 मेगावाट के अंतर-क्षेत्रीय लिंकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

- (i) रायगढ़ - पुगलूर ± 800 केवी, 6000 मेगावाट एचवीडीसी बाइपोल
- (ii) विंध्याचल - वाराणसी 765 केवी डी/सी लाइन
- (iii) वरोरा पूल - वारंगल (नया) 765 केवी डी/सी लाइन
- (iv) नरेन्द्र के लूप इन लूप आउट (लीलो) - ज़ेलदाम (गोवा) पर स्थित नरेन्द्र (नया) 400 केवी (क्वाड) लाइन
- (v) उच्च क्षमता कंडक्टर सहित सिलिगुडी - बोंगङगांव 400 केवी डी/सी और अलीपुरदोर - सलाकाटी 220 केवी डी/सी लाइन की रीकंडक्टरिंग

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1756
जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

कोयला-चालित विद्युत संयंत्रों का उन्नयन

1756. श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला-चालित विद्युत संयंत्रों के उन्नयन हेतु अतिरिक्त समय दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुराने और संदूषित संयंत्रों को अत्यधिक कुशलता वाले सुपर क्रिटिकल संयंत्रों में परिवर्तित किया जाएगा;
और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत संयंत्र की स्थापना और विद्युत उत्पादन करना, विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत एक लाइसेंस रहित गतिविधि है। इसलिए, निष्पादन सुधार अथवा वर्तमान पर्यावरण मानकों के अनुपालन के लिए अपनी यूनिटों/संयंत्रों का उन्नयन करने का निर्णय सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मौजूदा दिशा-निर्देशों/मानकों और समय-सीमा के अनुसार तकनीकी-वाणिज्यिक प्रतिफलों के आधार पर विद्युत उत्पादकों/संबंधित उत्पादन कंपनियों का होता है।

(ग) और (घ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने सूचित किया है कि पुराने और प्रदूषण फैला रहे संयंत्रों का उच्च दक्षता वाले सुपर क्रिटिकल संयंत्रों में परिवर्तन तकनीकी कठिनाईयां और तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के कारण संभव नहीं हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1775

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

एनटीपीसी समूह द्वारा सकल विद्युत उत्पादन

1775. श्री राजन बाबूराव विचारे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनटीपीसी समूह में सकल विद्युत उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : जी हां।

(ख) : एनटीपीसी समूह ने पिछले वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20) के समनुरूपी अवधि के विद्युत उत्पादन (239.69 बिलियन यूनिट) की तुलना में जनवरी, 2021 (वित्तीय वर्ष 2020-21) तक सकल विद्युत उत्पादन (252.28 बिलियन यूनिट) में 5.3% की वृद्धि दर्ज की है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1789

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

विद्युत संयंत्रों में रिपोर्ट की गई दुर्घटनाएं

1789. श्री भर्तृहरि महाताब:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में कार्यरत बिजली संयंत्रों में प्रमुख और मामूली दुर्घटनाओं में मरने वाले/घायल लोगों की एनटीपीसी सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और संयंत्र-वार संख्या कितनी है और ऐसे हादसों में सरकारी खजाने को हुआ अनुमानित नुकसान कितना है;
- (ख) क्या सरकार ने उक्त दुर्घटनाओं के दोषियों को दंडित करने के लिए कोई जांच की है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी क्या परिणाम रहे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान ऐसे संयंत्रों की सुरक्षा ऑडिट की है और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और संयंत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी क्या परिणाम रहे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अन्य क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न विद्युत संयंत्रों में हुए प्रमुख तथा मामूली दुर्घटनाओं में मरने वाले/घायल लोगों की एनटीपीसी के संयंत्रों सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा संयंत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है। परियोजना विकास चरण के दौरान, संबंधित परियोजना विकासकर्ता अनुबंधकर्ता एजेंसी की बीमा नीतियों के माध्यम से दुर्घटनाओं से उत्पन्न जोखिम का कवर प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युत संयंत्रों के प्रचालन और रख-रखाव अवधि के दौरान, संबंधित संगठन आग और दुर्घटनाओं से संबंधित उपयुक्त बीमा नीतियों

के माध्यम से प्रमुख/मामूली दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले नुकसानों/जोखिम का कवर प्रदान करता है। इस संबंध में संबंधित सीपीएसयूज को कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(ख) और (ग) : दुर्घटनाओं के मामले में दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के उद्देश्य से तथा उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए भी पूछताछ/जांच की जाती है। जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष के अनुपालन में आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(घ) : सभी सीपीएसयूज आईएसओ प्रमाणित संगठन होने के कारण, उनके सभी संयंत्र आईएसओ प्रमाणन के दायरे में आते हैं। तदनुसार, संयंत्रों की सुरक्षा के संबंध में सभी सक्रिय उपायों, प्रासंगिक सुरक्षा मानदंडों और निवारक उपायों का यथोचित अनुपालन किया जाता है। एनटीपीसी के संबंध में, राज्य-वार तथा संयंत्र-वार संचालित आंतरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षा का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ङ) : भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विभिन्न सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं:

- (i) विद्युत स्टेशनों द्वारा सुरक्षा उपकरणों जैसे हेलमेट, सुरक्षा दस्ताने, चश्मे, सुरक्षा/गमबूट आदि का अनिवार्य उपयोग किया जा रहा है।
- (ii) सभी परियोजना/विद्युत स्टेशनों पर सुरक्षा अधिकारियों को नामित किया गया है।
- (iii) सभी कार्य-स्थलों में सभी सुरक्षा/निवारक उपाय का कड़ाई से पालन करने के लिए कर्मचारियों हेतु पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विद्युत संयंत्रों में दुर्घटनाओं और उनके पुनः घटित होने की संभावना की जांच करने हेतु, सभी स्थानों पर फायर टैंडर, पोर्टेबल फायर एक्विटिंग यूसुअर, कार्यरत कर्मचारियों के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई), इन्सुलेटिंग मैट्स जैसे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। इन उपकरणों की समय-समय पर जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त, घटना/दुर्घटना की जांच करने के बाद, जांच समिति द्वारा सुझाए गए सुधारात्मक उपायों को कॉर्पोरेट कार्यालय के सुरक्षा विभाग द्वारा उसी प्रकार की दुर्घटनाओं के पुनर्घटन की रोकथाम हेतु संबंधित संगठन के सभी स्थानों पर कार्यान्वित किया जाता है।
- (iv) सभी स्थानों पर आग और सुरक्षा के लिए नियमित मोक ड्रिल किए जाते हैं।
- (v) कार्य-स्थलों में सुलभ संदर्भ हेतु सभी आवश्यक दिशा-निर्देश और विशेष प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) सुरक्षा मैनुअल में प्रदान किए जाते हैं। संकट और आपदा प्रबंधन नियमावली भी लागू है।
- (vi) सुरक्षात्मक रख-रखाव अनुसूची के अनुसार, सभी उपस्करों, उपकरणों और साज-सामानों के सुरक्षात्मक रख-रखाव किए जाते हैं।
- (vii) सुरक्षा मुद्दों/टिप्पणियों पर ध्यान देने के लिए, सुरक्षा समिति बैठक तथा भागीदारी प्रबंधन बैठकों जैसे विभिन्न बैठक फोरम हैं।
- (viii) किसी भी रख-रखाव गतिविधि से पहले, रख-रखाव के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्क पर्मिट लिया जाता है।
- (ix) कर्मचारियों में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु, प्रति वर्ष विभिन्न सुरक्षा समारोह जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह और अग्नि सुरक्षा सप्ताह आदि मनाए जाते हैं।
- (x) परियोजना स्थलों पर आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं तथा प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स प्रदान किए जाते हैं।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 11.02.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1789 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और संयंत्र-वार विभिन्न विद्युत संयंत्रों में रिपोर्ट किए गए प्रमुख/मामूली दुर्घटनाओं में मरने वाले/घायल हुए व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है:-

एनटीपीसी लिमिटेड के अंतर्गत संयंत्र:-

स्टेशन	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्तमान वर्ष-2018		वर्तमान वर्ष-2019		वर्तमान वर्ष-2020		वर्तमान वर्ष-2021 (जनवरी, 21 तक)	
		घायल	मारे गए	घायल	मारे गए	घायल	मारे गए	घायल	मारे गए
बदरपुर	दिल्ली	1	0	0	0	0	0	0	0
बरौनी	बिहार	0	0	0	0	1	1	0	0
बाढ़	बिहार	3	0	1	0	1	1	0	0
बोंगाईगांव	असम	2	0	1	0	0	0	0	0
दादरी	उत्तर प्रदेश	4	1	9	1	4	0	0	0
फरक्का	पश्चिम बंगाल	7	0	3	1	1	1	0	0
फरीदाबाद	हरियाणा	0	0	1		0	0	0	0
गादरवाड़ा	मध्य प्रदेश	0	0	0	1	3	0	0	0
झानौर गंधार	गुजरात	2	0	0	0	0	0	0	0
कहलगांव	बिहार	1	0	6	0	3	0	0	0
कोरबा	छत्तीसगढ़	0	0	2	0	0	1	0	0
कोडगी	कर्नाटक	1	0	2	1	3	0	1	1
मौदा	महाराष्ट्र	2	0	0	1	2	1	0	0
रामागुंडम	तेलंगाना/आंध्र प्रदेश	4	0	1	1	1	1	0	0
रिहंद	उत्तर प्रदेश	2	0	0	0	1	4	1	0
सिम्हाद्री	आंध्र प्रदेश	0	0	3	0	1	0	0	0
सिंगरौली	उत्तर प्रदेश	2	0	2	0	1	1	0	0
सिपत	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	1	0	0	0
सोलापुर	महाराष्ट्र	1	0	1	0	1	0	0	0
तलचेर कनिहा	ओडिशा	0	2	1	1	1	0	0	0
तलचेर टीपीएस	ओडिशा	0	0	0	0	1	0	0	0
ऊंचाहार	उत्तर प्रदेश	1	0	1	0	2	0	0	0
टांडा	उत्तर प्रदेश	0	0	1	0	1	1	0	0
विंध्याचल	मध्य प्रदेश	6	0	2	0	6	1	0	1
	कुल	39	3	37	7	35	13	2	2

एनएचपीसी, एसजेवीएनएल और नीपको के अंतर्गत अन्य विद्युत संयंत्र:-

एनएचपीसी लिमिटेड के अंतर्गत संयंत्र

क्रम सं.	विद्युत स्टेशन का नाम	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
		मारे गए	घायल हुए						
संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर	सलाल पी.एस.	0	1	0	0	0	0	0	0
	दुलहस्ती पी.एस.	0	0	0	0	0	0	0	1
	उरी-II पी.एस.	1	0	0	0	0	0	0	0
	किशनगंगा पी.एस.	3	2	0	0	0	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	बैरासुअल पी.एस.	0	0	0	0	0	0	1	0
	चमेरा-I पी.एस.	0	0	0	0	0	0	1	0
	चमेरा-II पी.एस.	0	0	0	0	0	1	0	0
	चमेरा-III पी.एस.	0	0	2	0	0	0	0	0
मणिपुर	लोकटक पी.एस.	1	0	0	0	0	0	0	0

एसजेवीएनएल लिमिटेड के अंतर्गत संयंत्र

राज्य	विद्युत स्टेशन का नाम	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
		मारे गए	घायल						
हिमाचल प्रदेश	नाथपा झाकरी एचपीएस	0	0	0	3	0	1	0	0
	रामपुर एचपीएस	0	0	0	0	0	1	0	1

नीपको लिमिटेड के अंतर्गत संयंत्र

अरुणाचल प्रदेश	कर्मैंग एचपीई	0	1	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	दोयांग एचईपी	1	0	0	0	0	0	0	0
असम/मेघालय	कोपिली	0	0	0	0	4	0	0	0
कुल		6	4	2	3	4	3	2	2

लोक सभा में दिनांक 11.02.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1789 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एनटीपीसी लिमिटेड की राज्य-वार और संयंत्र-वार आयोजित आंतरिक और बाह्य लेखापरीक्षा का विवरण निम्नलिखित है:

क्रम सं.	राज्य	स्टेशन/परियोजना	वित्तीय वर्ष - 2018-19		वित्तीय वर्ष - 2019-20		वित्तीय वर्ष - 2020-21 (जनवरी, 21 तक)	
			आंतरिक लेखापरीक्षा	बाह्य लेखापरीक्षा	आंतरिक लेखापरीक्षा	बाह्य लेखापरीक्षा	आंतरिक लेखापरीक्षा	बाह्य लेखापरीक्षा
1	उत्तर प्रदेश	दादरी	की गई	की गई	की गई	की गई	की गई	की गई
2	हरियाणा	फरीदाबाद	की गई	की गई	की गई	की गई	की गई	की गई
3	हरियाणा	झज्जर	की गई	की गई	की गई	की गई	की गई	की गई
4	उत्तर प्रदेश	ऊंचाहार	की गई	की गई	की गई	की गई	की गई	योजित
5	उत्तर प्रदेश	औरैया	की गई	की गई	की गई	-----	की गई	की गई
6	मध्य प्रदेश	विंध्याचल	की गई	की गई	की गई	की गई	की गई	की गई
7	उत्तर प्रदेश	रिहंद	की गई	की गई	की गई	की गई	की गई	की गई
8	उत्तर प्रदेश	सिंगरौली	की गई	की गई	की गई	की गई	की गई	योजित
9	उत्तर प्रदेश	टांडा	की गई	की गई	की गई	की गई	की गई	योजित
10	उत्तर प्रदेश	मेजा	की गई	की गई	की गई	की गई	योजित	योजित
11	बिहार	कहलगांव	की गई	की गई	की गई	की गई	की गई	योजित
12	बिहार	बाढ़	की गई	की गई	की गई	की गई	की गई	योजित
13	बिहार	बरौनी	-----	-----	की गई	की गई	योजित	योजित
14	पश्चिम बंगाल	फरक्का	की गई	की गई	की गई	की गई	की गई	की गई
15	झारखंड	नॉर्थ करनपुरा	की गई	की गई	की गई	-----	की गई	की गई
16	बिहार	बीआरबीसीएल नबीनगर	की गई	-----	की गई	की गई	की गई	योजित
17	बिहार	एनपीजीसीएल नबीनगर	की गई	की गई	की गई	की गई	की गई	योजित
18	झारखंड	पतरातू	की गई	-----	की गई	-----	योजित	योजित
19	बिहार	कांती	की गई	की गई	की गई	-----	योजित	की गई
20	ओडिशा	दरलीपल्ली	की गई	की गई	की गई	-----	योजित	योजित
21	असम	बोंगाईगांव	की गई	-----	की गई	की गई	योजित	की गई
22	ओडिशा	तलचेर कनीहा	की गई	-----	की गई	की गई	की गई	की गई
23	ओडिशा	तलचेर थर्मल	की गई	-----	की गई	की गई	की गई	की गई
24	ओडिशा	एनएसपीसीएल राउरकेला	की गई	की गई	की गई	की गई	की गई	योजित
25	पश्चिम बंगाल	एनएसपीसीएल दुर्गापुर	की गई	की गई	की गई	की गई	योजित	की गई
26	राजस्थान	आंता	की गई	की गई	की गई	की गई	की गई	की गई
27	महाराष्ट्र	सोलापुर	की गई	की गई	की गई	की गई	योजित	योजित
28	गुजरात	झानोर गंधार	की गई	-----	की गई	की गई	की गई	
29	महाराष्ट्र	मौदा	की गई	-----	की गई	की गई	योजित	की गई
30	गुजरात	कवास	की गई	की गई	की गई	की गई	की गई	योजित
31	महाराष्ट्र	रत्नागिरि	-----	-----	की गई	-----	की गई	-----
32	छत्तीसगढ़	लारा	की गई	की गई	की गई	की गई	की गई	योजित

क्रम सं.	राज्य	स्टेशन/परियोजना	वित्तीय वर्ष- 2018-19		वित्तीय वर्ष - 2019-20		वित्तीय वर्ष - 2020-21 (जनवरी, 21 तक)	
			आंतरिक लेखापरीक्षा	बाह्य लेखापरीक्षा	आंतरिक लेखापरीक्षा	बाह्य लेखापरीक्षा	आंतरिक लेखापरीक्षा	बाह्य लेखापरीक्षा
33	छत्तीसगढ़	कोरबा	की गई	की गई	की गई	-----	की गई	की गई
34	छत्तीसगढ़	सिपत	की गई	-----	की गई	की गई	की गई	योजित
35	मध्य प्रदेश	गांदरवाड़ा	की गई	की गई	की गई	-----	की गई	की गई
36	मध्य प्रदेश	खरगोन	की गई	की गई	की गई	-----	की गई	की गई
37	छत्तीसगढ़	एनएसपीसीएल भिलाई	की गई	की गई	की गई	की गई	की गई	की गई
38	कर्नाटक	कुडगी	की गई	की गई	की गई	-----	की गई	की गई
39	तेलंगाना	रामागुंडम	की गई	-----	की गई	की गई	की गई	योजित
40	तेलंगाना	तेलंगाना	की गई	की गई	की गई	-----	की गई	की गई
41	आंध्र प्रदेश	सिम्हाद्री	की गई	-----	की गई	की गई	की गई	योजित
42	केरल	कायमकुलम	की गई	की गई	की गई	की गई	की गई	योजित
43	तमिलनाडु	वेल्लुर	की गई	की गई	की गई	की गई	योजित	की गई
44	उत्तराखंड	तपोवन	की गई	की गई	की गई	की गई	योजित	की गई
45	पश्चिम बंगाल	राम्मम	की गई	की गई	की गई	की गई	योजित	योजित
46	हिमाचल प्रदेश	कोडम	की गई	की गई	की गई	की गई	योजित	योजित
47	दिल्ली	बदरपुर	की गई	की गई	-----	-----	-----	-----

टिप्पणी: आंतरिक लेखापरीक्षा वर्ष में एक बार आयोजित की गई तथा बाह्य लेखापरीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की गई।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1834

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

नई पनविद्युत नीति

1834. श्री पी. वेलुसामी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का लंबित हुई परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए नई पनविद्युत नीति लाने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) जलवायु परिवर्तन परिदृश्य के मद्देनजर पनबिजली परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) इन लंबित परियोजनाओं की स्थिति क्या है और विद्युत उत्पादन क्षमता के ब्यौरे के साथ इन लंबित परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (घ) क्या जलविद्युत परियोजनाओं के आसपास के ऐसे गांवों को विद्युतीकृत करने को प्राथमिकता दी जाएगी जिनको अब तक विद्युतीकृत नहीं किया गया है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : मार्च, 2019 में, भारत सरकार ने देश में जलविद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपायों को मंजूरी दी, जो निर्माणाधीन परियोजनाओं के साथ-साथ नई जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से सहायक होंगे:

- (i) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में बड़ी जल विद्युत (एलएचपी) (> 25 मेगावाट की परियोजनाएं) की घोषणा।

(ii) गैर-सौर नवीकरण क्रय दायित्व (आरपीओ) के भीतर एक अलग इकाई के रूप में जल विद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ)।

(iii) जल विद्युत टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ युक्तिकरण उपाय।

(iv) बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जल विद्युत परियोजनाएं (एचईपी) के लिए बजटीय सहायता।

(v) बुनियादी ढांचे अर्थात् सड़क/पुल को बनाने की लागत के लिए बजटीय सहायता।

(क) 200 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए प्रति मेगावाट 1.5 करोड़ रुपये।

(ख) 200 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं के लिए प्रति मेगावाट 1.0 करोड़ रुपये।

(ग) : मेगावाट में विद्युत क्षमता के ब्यौरों सहित रुकी हुई परियोजनाओं की स्थिति और इन परियोजनाओं के पुनरुद्धार के लिए उठाए गए कदमों को दर्शाने वाला राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में संलग्न है।

(घ) और (ङ) : जैसा कि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, देश भर के सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव 28.04.2018 को विद्युतीकृत हो गए। तदोपरांत, भारत सरकार की सौभाग्य योजना के तहत, दिसंबर, 2020 तक देश में सभी इच्छुक परिवारों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, जल विद्युत नीति, 2008 के अनुसार, शेष अप्रयुक्त विद्युत, यदि कोई हो, को लागत सहित संबंधित वितरण कंपनी के माध्यम से परियोजना के चालू होने की तारीख से 10 (दस) वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) को प्रति माह 100 यूनिट विद्युत प्रदान की जाएगी, जिसे राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित की जाने वाली दरों पर, पीएएफ को नकद या अन्य किसी प्रकार से या दोनों के संयोजन में उपलब्ध करायी जाएगी।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 11.02.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1834 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

जल-विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की स्थिति जिनके लिए निर्माण कार्य रुका है और पुनरुद्धार के लिए उठाए गए कदम

क्रम संख्या	परियोजना का नाम/संस्थापित क्षमता	यूनिट संख्या	राज्य/जिला क्रियान्वयन एजेंसी	क्षमता (मेगावाट)	शुरू किए जाने संभावना*	कारण/वर्तमान स्थिति/पुनरुद्धार हेतु कदम
केंद्रीय क्षेत्र						
1	लता तपोवन 3x57= 171 मेगावाट	यू-1 से यू-3	उत्तराखंड/चमोली/ए नटीपीसी	171	2025-26	जून, 2013 में उत्तराखंड आपदा के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने 13-08-2013 को यह निर्णय दिया था कि "पर्यावरण और वन मंत्रालय और उत्तराखंड राज्य अगले आदेश तक उत्तराखंड राज्य में किसी भी जलविद्युत परियोजना के लिए आगे पर्यावरणीय मंजूरी या वन मंजूरी प्रदान न करे"। इसलिए निर्माण कार्य रुक गया। मामला न्यायाधीन है।
2	रंगित-IV 3x40= 120 मेगावाट	यू-1 से यू-3	सिक्किम/पश्चिम सिक्किम/एनएचपी सी	120	2025-26	विकासकर्ता के पास धन की कमी के कारण परियोजना अक्टूबर, 2013 से रुकी हुई है। यह परियोजना 9 अप्रैल, 2019 से एनसीएलटी प्रक्रिया के अधीन थी। एनएचपीसी ने ईओआई को 08.07.2019 को प्रस्तुत किया और 23.08.2019 को संभावित संकल्प आवेदकों की अंतिम सूची के तहत शॉर्टलिस्ट किया गया था। 04.12.2019 को एनएचपीसी द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत की गई। परियोजना के लिए निवेश संबंधी अनुमोदन प्रक्रियाधीन है। अंतिम सुनवाई दिनांक 31.07.2020 को हुई तथा परियोजना एनएचपीसी को अवॉर्ड की गई है। परियोजना के लिए निवेश संबंधी अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।
3	रातले 4x205+1x30= 850 मेगावाट	यू-1 से यू-5	जम्मू एवं कश्मीर/किश्तवाड़/ जे एंड के केंद्रशासित प्रदेश सरकार और एनएचपीसी का संयुक्त उद्यम	850	2025-26	आर एंड आर मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, कानून व्यवस्था की समस्या आदि विभिन्न मुद्दों के कारण परियोजना 11.07.2014 से रुकी हुई है। इससे पहले, निजी क्षेत्र के विकासकर्ता द्वारा इसका निष्पादन किया जा रहा था और कुछ कार्य पहले ही किए जा चुके हैं। 11 जुलाई, 2014 के बाद से कोई प्रगति नहीं हुई है। जे एंड के केंद्रशासित सरकार और एनएचपीसी की जेवी का गठन किया गया है। मंत्रीमंडल द्वारा दिनांक 20.01.2021 द्वारा निवेश संबंधी सहमति दी गयी है।
	उप-योग (केंद्रीय)			1141		
राज्य क्षेत्र						
4	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस 2x40= 80 मेगावाट	यू-1 से यू-2	महाराष्ट्र/सतारा/डबल्यूआरडी, महाराष्ट्र सरकार	80	2025-26	परियोजना जुलाई, 2015 से रुकी हुई है। परियोजना पर वर्तमान व्यय पहले ही लगभग मूल प्रशासनिक अनुमोदित लागत स्तर तक पहुंच चुका है। परियोजना के पुनरुद्धार के लिए प्रस्ताव महाराष्ट्र

						सरकार को प्रस्तुत किया गया है।
5	लोअर कलनई 2x24= 48 मेगावाट	यू-1 से यू-2	जे एंड के/किश्तवाड़/जेकेए सपीडीसी	48	2025-26	उप संविदाकारों के साथ भुगतान संबंधी विवाद और जेकेएसपीडीसी द्वारा संविदा के समय विस्तार का निपटान न करने के कारण दिनांक 24.01.2018 से बांध और पावर हाउस स्थल पर सभी मोर्चों पर कार्य रुके हुए हैं
6	पोलावरम 12x80= 960 मेगावाट	यू-1 से यू-12	आंध्र प्रदेश/पूर्वी एवं पश्चिमी गोदावरी/एपीजीईए नसीओ/सिंचाई विभाग, एपी	960	2023-25	कार्य 19.07.2019 के बाद से रुका हुआ है क्योंकि एपीजीईएनसीओ ने संविदाकार (एनईसीएल) से कहा कि वह सभी कार्यों को रोके और 14.08.2019 को जारी संविदा को समाप्त करे। 14.12.2020 को कानूनी बाधाओं को दूर होने के कारण अब कार्य शुरू किए जा रहे हैं।
	उप-योग (राज्य)			1088		
निजी क्षेत्र						
7	महेश्वर 10x40= 400 मेगावाट	यू-1 से यू- 10	मध्य प्रदेश/खरगोन एवं खंडवा/एसएमएचपी सीएल	400	2023-24	विकासकर्ता के साथ नकदी प्रवाह की समस्या के कारण नवंबर-11 के बाद से कार्य आस्थगित हैं। म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने 18.04.2020 को एसएमएचपीसीएल के साथ विद्युत खरीद करार समाप्त कर दिया है।
8	पानन 4x75= 300 मेगावाट	यू-1 से यू-4	सिक्किम/उत्तरी सिक्किम/हिमगिरि हाइड्रो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	300	2025-26	मंथम झील पर पुल निर्माण के मुद्दे पर सिक्किम राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श जारी है।
9	तंगनू रोमई - I 2x22= 44 मेगावाट	यू-1 से यू-2	हिमाचल प्रदेश/शिमला/तंगनू रोमई पावर जेनरेशन	44	2024-25	विकासकर्ता के साथ धन की कमी के कारण जनवरी 2015 से कार्य रुके हुए हैं
10	रंगित-II 2x33= 66 मेगावाट	यू-1 से यू-2	सिक्किम/पश्चिमी सिक्किम/सिक्किम हाइड्रो पावर लिमिटेड	66	2024-25	विकासकर्ता के साथ धन की कमी के कारण दिसंबर 2017 से कार्य रुके हुए हैं। परियोजना 30.07.2020 से एनसीएलटी में है।
11	भासमेय 2x25.5= 51 मेगावाट	यू-1 से यू-2	सिक्किम/पूर्वी सिक्किम/गैटी अवसंरचना	51	2024-25	विकासकर्ता के साथ धन की कमी के कारण सितंबर 2016 से कार्य रुके हुए हैं
12	फाता ब्यूंग 2x38= 76 मेगावाट	यू-1 से यू-2	उत्तराखंड/रुद्रप्रयाग मैसर्स लेंको	76	2025-26	संविदाकार/विकासकर्ता के साथ वित्तीय संकट के कारण जुलाई, 2017 से कार्य रुके हुए हैं। कंपनी 2020 जून से परियोजना के पुनरुद्धार और समाधान के लिए आईबीसी के तहत शुरू की गई कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया के दौर से गुजर रही है। इस प्रक्रिया के तहत, एनसीएलटी द्वारा नियुक्त रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल ने परियोजना के लिए संभावित निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।
	उप- योग (निजी)			937		
	कुल			3166		
* कार्य को पुनः शुरू करने से संबद्ध						
